



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL
TERRITORY OF DELHI

विनियोग लेखे
APPROPRIATION ACCOUNTS

2020-21



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विनियोग लेखे
APPROPRIATION ACCOUNTS

2020-21

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	(i)
विनियोग लेखों का सारांश 2020-21	(ii) – (vii)
लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र	(viii) – (ix)

विनियोग लेखे

1. अनुदान संख्या 1 – विधान सभा	1
2. अनुदान संख्या 2 – सामान्य प्रशासन	2
3. अनुदान संख्या 3 – न्याय प्रशासन	4
4. अनुदान संख्या 4 – वित्त	8
5. अनुदान संख्या 5 – गृह	12
6. अनुदान संख्या 6 – शिक्षा	16
7. अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	29
8. अनुदान संख्या 8 – समाज कल्याण	40
9. अनुदान संख्या 9 – उद्योग	49
10. अनुदान संख्या 10 – विकास	52
11. अनुदान संख्या 11– शहरी विकास तथा लोक निर्माण	63
12. अनुदान संख्या 12– ऋण	80
13. अनुदान संख्या 13– पेंशन	81
14. अनुदान संख्या 14– आकस्मिक निधि	82
15. अनुदान संख्या 15– सार्वजनिक ऋण	83
16. अनुबन्ध 'क'	85

प्रस्तावना

इस संकलन में, 2020-21 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा खर्च की गई राशियों के विनियोग लेखे, जिनकी तुलना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 की धारा 29 एवं 30 के अन्तर्गत विनियोग के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अनेक राशियों से की गई हैं । इन लेखों में :-

“मू.” का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोग से है ।

“पू.” का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है ।

“पु.” का तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये पुनर्विनियोगों, निकासियों अथवा अभ्यर्पण से है ।

प्रभारित विनियोगों और व्यय को रेखांकित किया गया है ।

विनियोग लेखों का सार
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS
2020-21

वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखों का सार
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS 2020-21

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूँजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूँजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूँजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूँजीगत Capital
			(In thousand of rupees)							
1-विधान सभा	प्रभारित	Charged	9000	0	6669	0	-2331	0	0	0
Legislative Assembly	स्वीकृत	Voted	583500	0	352798	0	-230702	0	0	0
2-सामान्य प्रशासन	प्रभारित	Charged	160750	0	129078	0	-31672	0	0	0
General Administration	स्वीकृत	Voted	9190250	0	4472128	0	-4718122	0	0	0
3-न्याय प्रशासन	प्रभारित	Charged	3379900	0	3001359	0	-378541	0	0	0
Admn. of Justice	स्वीकृत	Voted	11923100	250000	10285820	160114	-1637280	-89886	0	0
4-वित्त	प्रभारित	Charged	1000	0	0	0	-1000	0	0	0
Finance	स्वीकृत	Voted	3156400	2660100	2286409	56732	-869991	-2603368	0	0
5-गृह	प्रभारित	Charged	8500	0	3800	0	-4700	0	0	0
Home	स्वीकृत	Voted	8320350	1153000	6152672	108341	-2167678	-1044659	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
(In thousand of rupees)										
6— शिक्षा	प्रभारित	Charged	8000	0	944	0	-7056	0	0	0
Education	स्वीकृत	Voted	133497600	3881500	98231550	1202717	-35266050	-2678783	0	0
7— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	प्रभारित	Charged	270910	377	2535	376	-268375	-1	0	0
Medical & Public Health	स्वीकृत	Voted	64470245	2826223	56111377	1157595	-8358868	-1668628	0	0
8— समाज कल्याण	प्रभारित	Charged	400	0	0	0	-400	0	0	0
Social Welfare	स्वीकृत	Voted	84584550	16508700	74315746	9072789	-10268804	-7435911	0	0
9— उद्योग	प्रभारित	Charged	550	0	0	0	-550	0	0	0
Industries	स्वीकृत	Voted	7929000	32200	6391554	3000	-1537446	-29200	0	0
10—विकास	प्रभारित	Charged	2495	10000	0	0	-2495	-10000	0	0
Development	स्वीकृत	Voted	33426040	10159300	25564138	1878987	-7861902	-8280313	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
(In thousand of rupees)										
11—शहरी विकास एवं										
लोक निर्माण विभाग	प्रभारित	Charged	10600	0	80	0	-10520	0	0	0
Urban Development & PWD	स्वीकृत	Voted	97883700	96845700	92277033	74315155	-5606667	-22530545	0	0
12—ऋण	स्वीकृत	Voted	0	15000	0	6615	0	-8385	0	0
Loans										
13—पेंशन	स्वीकृत	Voted	30000	0	19501	0	-10499	0	0	0
Pensions										
14—आकस्मिक निधि	स्वीकृत	Voted	0	0	0	0	0	0	0	0
Contingency Fund										
15—सार्वजनिक ऋण	प्रभारित	Charged	30618800	35111000	28738308	32651652	-1880492	-2459348	0	0
Public Debt										
योग	प्रभारित	Charged	34470905	35121377	31882773	32652028	-2588132	-2469349	0	0
Total	स्वीकृत	Voted	454994735	134331723	376460726	87962045	-78534009	-46369678	0	0

विनियोग लेखों का सार (जारी)

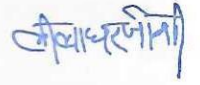
चूंकि अनुदान और विनियोग की कुल आवश्यक राशियों के लिए उनके सामने दर्शाये गये आंकड़े वसूलियों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटा कर समायोजित किया जाता है, निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखों में दिखाये गये हैं ।

2020-21 के विनियोग लेखों एवं वित्त लेखों के अनुसार कुल व्यय का मिलान निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :-

	राजस्व	पूंजीगत	कुल
	(हजार रुपयों में)		
प्रभारित :-			
विनियोग लेखों के अनुसार कुल खर्च	3188,27,73	3265,20,28	6453,48,01
घटायें—परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	34,60	0	34,60
वित्त लेखों की विवरणी संख्या — 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	3187,93,13	3265,20,28	6453,13,41
स्वीकृत :-			
विनियोग लेखों के अनुसार कुल खर्च	37646,07,26	8796,20,45	46442,27,71
घटायें—परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	420,38,78	6,98,52	427,37,30
वित्त लेखों की विवरणी संख्या — 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	37225,68,48	8789,21,93	46014,90,41

विनियोग लेखों का सार (समापन)

मैं, अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूं कि वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखों में शामिल कुल व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है ।



(लीला धर जोशी)

लेखा नियन्त्रक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली

18 FEB 2022

दिनांक.....

प्रतिहस्ताक्षरित



(डॉ. आशीश चन्द्र वर्मा)

प्रधान सचिव (वित्त)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली

23 FEB 2022

दिनांक.....

विनियोग लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के वित्त लेखे जो सरकार की इस वर्ष की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों और संवितरणों को प्रस्तुत करते हैं, को एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, जिसे तैयार करने का दायित्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के लेखा नियंत्रक और प्रधान सचिव (वित्त) दोनों का है, की जाँच मेरे निर्देशन में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार की गई है। हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन लेखाओं पर अपनी राय को अभिव्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों एवं प्रकट की गई सूचना से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच शामिल है।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित एवं प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना आधार पर लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपने सम्पूर्ण ज्ञान और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा इस वर्ष या विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार पर पृथक रूप से प्रस्तुत किये जा रहे मेरे वित्तीय, अनुपालना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

ह०

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक : 28 FEB 2022

स्थान : नई दिल्ली

अनुदान संख्या 1 – विधान सभा

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित	<u>90,00</u>	<u>66,69</u>	<u>-23,31</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<u>-6,00</u>
स्वीकृत –	58,35,00	35,27,98	-23,07,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-4,60,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 23.31 लाख रुपये की कुल बचत थी (90.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 25.90 प्रतिशत थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 2307.02 लाख रुपये की कुल बचत थी (5835.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 39.54 प्रतिशत थी।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

विधान मण्डल

मुख्यशीर्ष “2011”

संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान

मू.	5790.00)			
पु.	-460.00)	5330.00	3490.87	-1839.13

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष “2011”**— संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान – राज्य/संघ क्षेत्र विधान – विधान मंडल सचिवालय – सचिवालय – 2195.38 लाख रुपये की बचत (3360.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः ई-विधान योजना के अंशतः कार्यान्वित होने, रिक्त पदों व कम संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति, कॉविड-19 महामारी की वजह से कम यात्राएं होने एवं आर्थिक उपायों की वजह से कम खरीद होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 250.28 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

अनुदान संख्या 2 – सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित—			
मूल	16,02,50)		
पूरक	5,00)	16,07,50	12,90,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-3,16,72
स्वीकृत —			
मूल	918,98,50)		
पूरक	4,00)	919,02,50	447,21,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-471,81,22
			-82,00
			-45,40,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 316.72 लाख रुपये की कुल बचत थी (1607.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 19.70 प्रतिशत थी ।

2.50 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 47181.22 लाख रुपये की कुल बचत थी (91902.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 51.34 प्रतिशत थी ।

42576.00 लाख रुपये की राशि 11 उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

- मुख्यशीर्ष "2052"**— सचिवालय सामान्य सेवाएं— सचिवालय — मुख्यमंत्री जनता संवाद — 2000.00 लाख रुपये —वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से, निधियों का उपयोग न कर सकने के कारण ।
- मुख्यशीर्ष "2055"**— पुलिस — दिल्ली पुलिस — दिल्ली पुलिस सेवा समिति को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान (निर्भया फंड) (सी.एस.एस) — 28450.00 लाख रुपये — मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एम.एस.आई) व इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आई.एस.पी) की निविदाओं पर अंतिम निर्णय न होने के कारण ।
- मुख्यशीर्ष "2220"**— सूचना एवं प्रसारण — अन्य — विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार — (i) मीडिया नेटवर्क के साथ सहयोग — 5000.00 लाख रुपये — कॉविड-19 की वजह से व्यय में कटौती के कारण ।

(ii) सभी विभागों के लिए संवाद दल – 2000.00 लाख रुपये – कॉविड-19 की वजह से व्यय में कटौती करने एवं प्रशासनिक कारणों से निविदा प्रक्रिया के पूरा न हो सकने के कारण ।

(iii) दिल्ली शासन मॉडल को बाहर तक पहुंचाने का कार्यक्रम – 5000.00 लाख रुपये – कॉविड-19 की वजह से व्यय में कटौती करने एवं प्रशासनिक कारणों की वजह से वर्ष के अंत तक कोई अभियान या कार्यक्रम आयोजित न करने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में)

सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवायें

मू.	10335.00)			
पु.	-3051.40)	7283.60	6173.99	-1109.61

दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी

चयन बोर्ड

मुख्यशीर्ष "2051"

लोक सेवा आयोग

मू.	10447.50)			
पु .	-1562.00)	8885.50	3574.67	-5310.83

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2052"**— सचिवालय सामान्य सेवाएं— सचिवालय – मुख्य सचिवालय – 1286.34 लाख रुपये की बचत (5510.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कॉविड-19 की वजह से कम विदेशी यात्राओं के होने, प्रत्याशा से कम व्यय होने व कम खरीद एवं अधिवक्ताओं के व्यवसायिक बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "2051"**— लोक सेवा आयोग – कर्मचारी चयन आयोग – दिल्ली सरकार के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड – 6872.83 लाख रुपये की बचत (10447.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 की वजह से कम गतिविधि होने, रिक्त पदों के न भरने, कम खरीद होने, कॉविड-19 महामारी की वजह से परीक्षा के आयोजित न होने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं प्रशासनिक कारणों की वजह से कुछ भुगतान जारी न कर सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1728.72 लाख रुपये की बचत छः उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

अनुदान संख्या 3 – न्याय प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित			
मूल	307,21,00)		
पूरक	30,78,00)	337,99,00	300,13,59
			-37,85,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-3,00
स्वीकृत –			
मूल	1129,53,00)		
पूरक	62,78,00)	1192,31,00	1028,58,20
			-163,72,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-5,00
पूँजीगत			
स्वीकृत –			
मूल	10,00,00)		
पूरक	15,00,00)	25,00,00	16,01,14
			-8,98,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल 3785.41 लाख रुपये की बचत थी (33799.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3078.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 11.20 प्रतिशत थी ।

202.00 लाख रुपये की राशि तीन उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

(लाख रूपयों में)

उच्च न्यायालय

मुख्यशीर्ष "2014"

न्याय प्रशासन

मू.	30701.00)			
पू.	2996.00)			
पु.	-2.00)	33695.00	30013.59	-3681.41

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2014"**— न्याय प्रशासन — उच्च न्यायालय — निर्देशन एवं प्रशासन — 3227.54 लाख रुपये की बचत (32983.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2683.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, महामारी के जारी रहने की वजह से माननीय न्यायाधीशों से संबंधित सरकारी विदेशी यात्राओं पर खर्च न हो सकने एवं विद्युतीय/जल प्रभागों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 354.45 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 16372.80 लाख रुपये की बचत थी (119231.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 6278.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 13.73 प्रतिशत थी।

1325.16 लाख रुपये की राशि चार उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "2014"**— न्याय प्रशासन —विशेष न्यायालय —बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना (एफटीएससी) (निर्भया फंड) (सी.एस.एस) — 720.00 लाख रुपये — माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी का निर्णय न लेने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

उच्च न्यायालय

मुख्यशीर्ष "2014"

न्याय प्रशासन

मू.	899.00)			
पू.	363.00)			
पु.	-1.00)	1261.00	584.94	-676.05

सिविल एवं सत्र न्यायालय

मू.	86915.00)			
पू.	130.00)			
पु.	17.50)	87062.50	79191.25	-7871.25

अभियोजन निदेशालय

मू.	4654.00)			
पु.	-345.00)	4309.00	4081.93	-227.07

विधि विभाग

मू.	8489.80)			
पू.	1.00)			
पु.	-459.80)	8031.00	5680.19	-2350.81

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	10000.00)			
पू.	1484.00)			
पु.	516.00)	12000.00	9430.79	-2569.21

चुनाव कार्यालय**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	1140.00)			
पू.	4300.00)			
पु.	344.00)	5784.00	3460.84	-2323.16

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2014"**— न्याय प्रशासन —(क) उच्च न्यायालय — दिल्ली न्यायिक अकादमी — निर्देशन एवं प्रशासन —671.05 लाख रुपये की बचत (1256.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 363.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, विश्वव्यापी महामारी के साथ-साथ लॉकडाउन की वजह से विदेशी यात्राओं के रद्द होने, सक्षम अधिकारी से कर्मचारियों के लिए कारों की खरीद के लिए अनुमति न मिल सकने, 2014 से एन एल यू के विद्युतीय व जल प्रभारों की देय वास्तविक राशि के दावों की तुलना में कम रहने एवं महामारी की वजह से केवल अप्रत्यक्ष प्रशिक्षणों के आयोजित करने के कारण हुई।

(ख) सिविल एवं सत्र न्यायालय —सत्र न्यायालय — 6058.75 लाख रुपये की बचत (81522.80 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 130.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली सरकार से स्टैनोग्राफर के बकायों के संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय स्वीकृतियों के प्राप्त न होने, प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने, कुछ खरीद प्रस्तावों का निपटारा न होने एवं विभिन्न पदों के लिए विभागीय परीक्षा के आयोजित न होने के कारण हुई।

(ग) फौजदारी अदालतें—न्यायिक मेजिस्ट्रेटों की अदालतें — 1697.34 लाख रुपये की बचत (5422.20 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः बकायों का भुगतान न होने, प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने एवं विविध सॉफ्टवेयरों जैसे कि ऑनलाईन लॉ जरनल सॉफ्टवेयर, अखिल भारतीय रिपोर्टर, शीर्ष निर्णयों, 2021 वर्ष के लिए दुर्घटनाओं व क्षतिपूर्ति के मामलों व दिल्ली लॉ-टार्डम से संबंधित कुछ सॉफ्टवेयरों के खरीद प्रस्तावों की प्रक्रिया कॉविड-19 महामारी की वजह से पूरी न हो सकने के कारण हुई।

(घ) विधि सलाहकार और परामर्श—(i) अभियोजन पक्ष — 572.07 लाख रुपये की बचत (4654.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों व अनुबंधित कर्मचारियों की भर्ती न होने, चालू वित्त वर्ष में एम.टी.एन.एल. को अग्रिम राशि का समायोजन करने के बाद भुगतान करने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं व्यय प्रबंधन को देखते हुए विविध मदों के खरीद प्रस्तावों को अमल में न ला सकने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण – 917.91 लाख रुपये की बचत (2410.54 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने व कम अनुबंधित कर्मचारियों, कम दावों के प्राप्त होने एवं कुछ प्रशासनिक कारणों से कार्यालय भवन के स्थानांतरित न होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण —(अ) पुनर्वास – अन्य व्यय – अपराध पीड़ितों के लिए मुआवज़ा –1114.00 लाख रुपये की बचत (6484.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1484.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अनुदान राशि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की अव्ययित राशि के समायोजित करने के बाद जारी करने के कारण हुई।

(ब) सामाजिक कल्याण – अन्य कार्यक्रम – मुख्यमंत्री अभिवक्ता कल्याण योजना – 939.21 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः क्रैच के लिए स्पष्ट विनिर्देश उपलब्ध न होने एवं ई-पुस्तकालय के लिए पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा व्यय अनुमानों के जमा न करने की वजह से, निधियों के उपयोग में न ला सकने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2015"**— चुनाव – राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल के चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार – चुनावों पर व्यय – 782.12 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः ई. सी. आई. एल. को क्रमशः टी.आर.यू./सी.वी.आई.सी., वित्त मंत्रालय और ई.सी.आई./ई.सी.आई.एल. से जी.एस.टी. और टीए/डीए शुल्क लागू करने के बारे में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं कर सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1452.64 लाख रुपये की बचत चार उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 898.86 लाख रुपये की बचत थी (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1500.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 35.95 प्रतिशत थी।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

चुनाव

मुख्यशीर्ष "4059"

लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय

मू	1000.00)			
पू	1500.00)	2500.00	1601.14	-898.86

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4059"**— सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय – कार्यालय भवन – निर्माण – मुख्य चुनाव कार्यालय भवन – 898.86 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1500.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः बख्तावर परियोजना के पूरा न होने की वजह से डी.टी.टी.डी.सी. को भुगतान जारी न करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 4 – वित्त

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित	<u>10.00</u>	..	<u>-10.00</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<u>कुछ नहीं</u>
स्वीकृत –			
मूल 315,58,00)			
पूरक 6,00)	315,64,00	228,64,09	-86,99,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-22,92,50
पूँजीगत			
स्वीकृत –			
मूल 266,00,00)			
पूरक 1,00)	266,01,00	5,67,32	-260,33,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-256,51,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल 10.00 लाख रुपये की बचत थी (10.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 100.00 प्रतिशत थी ।

10.00 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

इसके अतिरिक्त, 280.39 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में कुल 8699.91 लाख रुपये की बचत थी (31564.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 6.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 27.56 प्रतिशत थी ।

152.15 लाख रुपये की राशि दस उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीषों के अंतर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में)

प्रधान लेखा कार्यालय

मुख्यशीर्ष "2054"

राजकोष एवं लेखा प्रशासन

मू.	5300.00)			
पु.	-388.00)	4912.00	4701.18	-210.82

आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2016"

लेखा परीक्षा

मू.	2483.00)			
पु.	-394.00)	2089.00	1831.23	-257.77

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

मुख्यशीर्ष "3454"

जनगणना सर्वेक्षण व आंकड़े

मू.	3538.00)			
पु.	-2043.00)	1495.00	907.70	-587.30

उत्पाद शुल्क एवं मनोरंजन कर विभाग

मुख्यशीर्ष "2039"

राज्य उत्पाद शुल्क

मू.	3148.00)			
पु.	288.30)	3436.30	2478.51	-957.79

व्यापार एवं कर विभाग

मुख्यशीर्ष "2040"

बिक्री कर

मू.	6241.95)			
पु.	-375.25)	5866.70	3985.27	-1881.43

मुख्यशीर्ष "2043"

राज्य माल और सेवा कर

के तहत संग्रह प्रभार

मू.	8315.05)			
पू.	2.00)			
पु.	693.25)	9010.30	6921.15	-2089.15

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2054"**— राजकोष एवं लेखा प्रशासन — लेखा तथा राजकोष निदेशालय — लेखा निदेशालय — 663.56 लाख रुपये की बचत (5050.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं मरम्मत व रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2016"**— लेखा परीक्षा — सिविल लेखा परीक्षण तथा लेखा कार्यालय —लेखा परीक्षा निदेशालय — 651.77 लाख रुपये की बचत (2483.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, असाधारण खरीद प्रस्तावों की अनुपलब्धता, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न करने के कारण हुई।
3. **मुख्यशीर्ष "3454"**— जनगणना, सर्वेक्षण व आंकड़े — सर्वेक्षण एवं आंकड़े — महत्वपूर्ण आंकड़े-घरेलू स्तर पर समायोजित डाटा का संग्रह — 2374.51 लाख रुपये की बचत (2489.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सर्वेक्षणों का आयोजन व कम बिलों की प्राप्ति, कॉविड-19 के तहत लॉकडाउन के लागू होने की वजह से मात्र एक रोजगार सर्वेक्षण के होने एवं घरेलू सर्वेक्षण के पूर्ण होने के कारण, अनुबंधित कर्मचारियों की आवश्यकता न होने एवं पर्यवेक्षकों/टीम लीडरों से टीए दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
4. **मुख्यशीर्ष "2039"**— राज्य उत्पाद शुल्क —निर्देशन एवं प्रशासन — जिला कार्यकारी स्थापना — 540.88 लाख रुपये की बचत (2080.05 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः गुप्त सेवा निधि के वितरण से संबंधित दिशा निर्देशों के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दावों के जमा करने में देरी की वजह से बिलों को संसाधित नहीं किया जा सका, ए.एम.सी. विक्रेताओं को कॉविड-19 की वजह से भुगतान जारी न कर सकने एवं प्रवर्तन/ई आई बी शाखाओं द्वारा कम क्षेत्रों का दौरा करने के कारण हुई।
5. **मुख्यशीर्ष "2040"**— बिक्रीकर — (क) संग्रह प्रभार — 778.94 लाख रुपये की बचत (2555.35 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, रिक्त पदों, लॉकडाउन व प्रशासनिक कारणों की वजह से अन्य विविध कार्यों के लिए भुगतान जारी न कर सकने एवं कॉविड-19 की वजह से अदालती मामलों का कम निपटारा होने से व्यावसायिक सेवा शीर्ष में कम स्वीकृतियां जारी करने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय — (i) वैट विभाग के प्रशासन में ढांचागत बदलाव — 520.47 लाख रुपये की बचत (1477.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं चिकित्सा उपचार शीर्ष में कर्मचारियों से कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) कम्प्यूटरीकरण प्रणाली — 810.07 लाख रुपये की बचत (1932.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, विभिन्न मदों के खरीद प्रस्तावों का निपटारा न होने एवं विक्रेताओं को कुछ भुगतान जारी न होने के कारण हुई।
6. **मुख्यशीर्ष "2043"**— राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह प्रभार —संग्रह प्रभार — संग्रह प्रभार— 1456.77 लाख रुपये की बचत (5631.15 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों की प्राप्ति, कॉविड-19 की वजह से कम अदालती मामलों का निपटारा होने से व्यावसायिक सेवा शीर्ष में कम स्वीकृतियां जारी करने एवं कॉविड-19 महामारी में कर्मचारियों के व्यस्त रहने व प्रशासनिक कारणों की वजह से स्वच्छता सेवाओं, लाइन मेन व टेलीफोन ओपरेटरों को भुगतान जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2043"**— राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह प्रभार — संग्रह प्रभार — उपयोगकर्ता प्रभार —जी.एस.टी.एन. — 507.19 लाख रुपये का अधिक व्यय (1811.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों की राशि जीएसटीएन के द्वारा रखी गई थी, बाद में जीएसटीएन द्वारा दिल्ली सहित सभी राज्यों के उपयोगकर्ता शुल्क को अंतिम बिलिंग में समायोजित करने के कारण हुआ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 26033.68 लाख रुपये की बचत थी (26601.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 97.87 प्रतिशत थी।

26250.00 लाख रुपये की राशि दो उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "7615"**— अन्य ऋण — अन्य ऋण — स्थानीय निकायों को उपाय और साधन के लिए ऋण — 26200.00 लाख रुपये — ऋणों के जारी न होने के कारण।

इसके अतिरिक्त, 325.52 लाख रुपये का अधिक व्यय एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुआ जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान संख्या 5 – गृह

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रुपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित			
मूल	70,00)		
पूरक	15,00)	85,00	38,00
			-47,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
स्वीकृत –			
मूल	806,77,00)		
पूरक	25,26,50)	832,03,50	615,26,72
			-216,76,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-21,00
पूँजीगत			
स्वीकृत –	115,30,00	10,83,41	-104,46,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-90,31,50
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 47.00 लाख रुपये की कुल बचत थी (85.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 15.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 55.29 प्रतिशत थी ।

45.00 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्ष के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में कुल 21676.78 लाख रुपये की बचत थी (83203.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2526.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 26.05 प्रतिशत थी ।

402.00 लाख रुपये की राशि दो उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में)

केन्द्रीय कारागार

मुख्यशीर्ष "2056"

जेल

मू.	39468.00)			
पू.	2523.50)			
पु.	4361.50)	46353.00	29281.24	-17071.76

नागरिक सुरक्षा तथा
होम गार्ड निदेशालय
मुख्यशीर्ष "2070"
अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	3269.00)			
पु.	-446.00)	2823.00	2706.12	-116.88

दिल्ली अग्निशमन सेवा
मुख्यशीर्ष "2070"
अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	25051.00)			
पु.	-2536.50)	22514.50	19726.88	-2787.62

अपराध विज्ञान प्रयोगशाला
मुख्यशीर्ष "2055"
अपराध विज्ञान

मू.	7032.00)			
पू.	2.00)			
पु.	-1349.00)	5685.00	4057.09	-1627.91

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2056"**— जेल — (क) निर्देशन एवं प्रशासन — जेल स्थापना — 11235.89 लाख रुपये की बचत (39403.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2522.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः व्यावसायिकों से व्यवसाय संबंधी सेवा बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) जेल उत्पादन — 1403.04 लाख रुपये की बचत (2437.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 की वजह से जेल फैक्ट्री से मांग में कमी होने एवं अपराधियों के पैरोल पर छूटने की वजह से व्यय में कमी होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2070"**— अन्य प्रशासनिक सेवाएँ — (क) नागरिक सुरक्षा — नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड — 562.88 लाख रुपये की बचत (3269.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कॉविड-19 की वजह से कम व्यय होने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने और वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार केवल कॉविड-19 से संबंधित व्यय करने के कारण हुई।

(ख) अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण — सुरक्षा एवं नियंत्रण — 5087.85 लाख रुपये की बचत (24213.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को रोकने, कॉविड-19 के कारण सभी 500 फायर ऑपरेटरों को एजेंसी द्वारा समय पर उपलब्ध न कराये जाने, कम दावों/खरीद की प्राप्ति होने, डी.एफ.एस. के कम्प्यूटरीकरण का कार्यान्वयन न होने, कॉविड-19 की वजह से कम व्यय होने एवं 1358 टर्न आउट गियरो का वितरण पूरा न हो सकने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2055"**— पुलिस — अपराध विज्ञान — अपराध विज्ञान प्रयोगशाला — 2568.31 लाख रुपये की बचत (6533.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कुछ अनुबंधित कर्मचारियों के पदत्याग करने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, प्रशासनिक कारणों की वजह से प्रस्तावित विदेशी दौरे न हो सकने, वर्ष के दौरान कुछ प्रस्तावों को अमल में न ला पाने व आई.टी. हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के प्रस्तावों को अमल में न ला सकने एवं कॉविड-19 की वजह से अनुमान के अनुसार व्यय न कर सकने के कारण हुई।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 10446.59 लाख रुपये की बचत थी (11530.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 90.60 प्रतिशत थी।

30.00 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहीं।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई:—

(लाख रुपयों में)

केन्द्रीय कारागार

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूंजी परिव्यय

मू.	1950.00)			
पु.	-1400.00)	550.00	28.13	-521.87

दिल्ली अग्निशमन सेवायें

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	7500.00)			
पु.	-6004.50)	1495.50	756.82	-738.68

अपराध विज्ञान प्रयोगशाला

मुख्यशीर्ष "4055"

पुलिस पर पूंजी परिव्यय

मू.	2050.00)			
पु.	-1627.00)	423.00	298.46	-124.54

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई:—

1. **मुख्यशीर्ष "4070"**— अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय — अन्य व्यय —(i) केन्द्रीय कारागार— 1921.87 लाख रुपये की बचत (1950.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पी.टी.ए. एम्बुलेंसों के खरीद का अनुमोदन समय से प्राप्त न होने, एक्स-रे आधारित संपूर्ण मानवीय शरीर के स्कैनर, एक्स-रे लगेज स्कैनर एवं एफ.जी.आई. सिम्युरिटी पोल के खरीद प्रस्तावों का समय से अनुमोदन न होने एवं अनुमोदन के देरी से प्राप्त होने की वजह से निविदा को अंतिम रूप से स्वीकृत न कर सकने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली अग्नि सेवायें – 6743.18 लाख रुपये की बचत (7500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने व कॉविड-19 की वजह से कुछ निविदाओं के क्रियान्वित न हो सकने, विदेशी विक्रेताओं द्वारा अग्निशमन उपकरणों के न भेजने एवं पी.डब्लू.डी. द्वारा महीपालपुर में फायर स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद के लिए डी.डी.ए. को कम भुगतान जारी करने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "4055"**– पुलिस पर पूँजी परिव्यय – अन्य व्यय – अपराध विज्ञान प्रयोगशाला – 1751.54 लाख रुपये की बचत (2050.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुपयोगी वाहनो की बिक्री के स्थान पर नई स्टाफ कारो के खरीद प्रस्तावों को अमल में न ला सकने एवं प्रशासनिक कारणों व कॉविड-19 की वजह से आई.टी. हार्डवेयरों/सॉफ्टवेयरों के कुछ खरीद प्रस्तावों के अमल में न ला सकने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 6 – शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रुपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित—			
मूल	70,00)		
पूरक	10,00)	80,00	9,44
			-70,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-14,00
स्वीकृत –			
मूल	13349,38,00)		
पूरक	38,00)	13349,76,00	9823,15,50
			-3526,60,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-2187,75,00
पूँजीगत			
स्वीकृत –			
मूल	388,14,00)		
पूरक	1,00)	388,15,00	120,27,17
			-267,87,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-174,30,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 70.56 लाख रुपये की कुल बचत थी (80.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 10.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 88.20 प्रतिशत थी।

25.00 लाख रुपये की राशि तीन उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 352660.50 लाख रुपये की कुल बचत थी (1334976.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 38.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 26.42 प्रतिशत थी।

91842.00 लाख रुपये की राशि 107 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

- मुख्यशीर्ष "2202"— सामान्य शिक्षा —(अ) प्राथमिक शिक्षा —(क) राजकीय प्राथमिक विद्यालय — प्रसन्नता पाठ्यक्रम एवं उद्यमिता गतिविधिया — 2000.00 लाख रुपये —योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ख) प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान — नई योजनाओं और अवसर के कार्यान्वयन के लिए डी.एम.सी. को सहायता अनुदान — 2000.00 लाख रुपये — अनुदान के जारी न होने के कारण।

(ब) माध्यमिक शिक्षा –(क) शिक्षक एवं अन्य सेवाएं – शिक्षक नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना – 500.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ख) छात्रवृत्ति – मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति – 800.00 लाख रुपये –योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ग) राजकीय माध्यमिक विद्यालय – (i) सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन – 4000.00 लाख रुपये – कॉविड-19 की वजह से ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन न होने के कारण।

(ii) स्कूल स्वास्थ्य योजना और बहुउद्देश्य छात्र पहचान-पत्र – 2200.00 लाख रुपये –योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(iii) एकल पारी स्कूलों में स्कूल की छुट्टी के बाद अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापों को बढ़ावा – 2000.00 लाख रुपये –कॉविड-19 की वजह से कम शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के कारण।

(iv) दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डी.सी.पी.सी.आर.) द्वारा अभिभावक कार्यशाला का आयोजन – 2000.00 लाख रुपये –कॉविड-19 की वजह से कम कार्यशालाओं का आयोजन होने, स्कूलों के बंद होने एवं कॉविड-19 की वजह से युक्तिसंगत व्यय करने के कारण।

(v) सभी सरकारी स्कूलों में भूगोल और विज्ञान की प्रयोगशालाओं की स्थापना – 3803.00 लाख रुपये – कॉविड-19 की वजह से योजना की धीमी गति के कारण।

(vi) उत्कृष्टता विद्यालय – 1500.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(vii) विज्ञान टी.वी. कार्यक्रम – 500.00 लाख रुपये –योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(viii) कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री परीक्षा शुल्क सहायता योजना – 6000.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(घ) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – विद्यार्थियों को विद्यालय वर्दियों के लिए छूट (एस.सी. एस.पी.) – 4500.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण एवं सरकार द्वारा विद्यालय वर्दियों को न देने के निर्णय के कारण।

(ङ) अन्य व्यय – (i) विद्यार्थियों को विद्यालय वर्दियों के लिए छूट – 18500.00 लाख रुपये –सरकार द्वारा विद्यालय वर्दियों को न देने के निर्णय के कारण।

(ii) विद्यार्थियों को विद्यालय वर्दियों पर छूट के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान – 1700.00 लाख रुपये – अनुदान जारी न करने के कारण।

(स) सामान्य – (क) निर्देशन एवं प्रशासन –(i) शिक्षा मंत्री का जन संवाद एवं मिलन – 1000.00 लाख रुपये – स्कूलों के बंद होने एवं कॉविड-19 की वजह से युक्तिसंगत व्यय करने के कारण।

(ii) गणितीय कौशल और क्षमता के विकास के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन – 800.00 लाख रुपये – कॉविड-19 के कारण कम विशेष कक्षाएं संचालित करने, स्कूलों के बंद रहने एवं युक्तिसंगत व्यय करने के कारण।

(ख) छात्रवृत्ति – शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण – 2000.00 लाख रुपये –योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2204"**— खेल एवं युवा सेवाएं — (क) निर्देशन एवं प्रशासन — स्कूलों में छात्रों का स्वास्थ्य आंकलन — 2500.00 लाख रुपये — योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ख) छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम — स्कूलों में छात्रों के लिए आत्मरक्षा — 1000.00 लाख रुपये — योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ग) खेल एवं क्रीडाएं — (i) छात्रों को खेल किट प्रदान करना — 6500.00 लाख रुपये — कॉविड-19 की वजह से कम क्रीडा क्रियाकलापों का आयोजन करने के कारण कम खरीद होने एवं स्कूलों के बंद रहने के कारण।

(ii) मुख्यमंत्री खेलों दिल्ली योजना — 3500.00 लाख रुपये — योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(iii) खेल के बुनियादी ढांचे का रखरखाव — 500.00 लाख रुपये — कॉविड-19 की वजह से स्कूलों के बंद होने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "2203"**— तकनीकी शिक्षा — (क) अनुसंधान — छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (तकनीकी) — 500.00 लाख रुपये — कॉविड-19 की वजह से योजना की धीमी गति के कारण।

(ख) इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान — अनुसंधान अनुदान योजना — 1000.00 लाख रुपये — प्रशासनिक कारणों की वजह से प्रस्ताव के पारित न होने के कारण निधियों का उपयोग न कर सकने के कारण।

4. **मुख्यशीर्ष "2230"**— श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास — प्रशिक्षण — औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान — विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आई.टी.आई) — 500.00 लाख रुपये — कम उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के कारण।

5. **मुख्यशीर्ष "2205"**— कला एवं संस्कृति — कला व संस्कृति का विकास — (i) साहित्य कला परिषद को राज्य समारोहों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान — 700.00 लाख रुपये — कम अनुदान जारी होने, कॉविड-19 की वजह से कार्यक्रमों का आयोजन न होने एवं गैर जरूरी व्यय न करने के कारण।

(ii) सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए नई पहल—राज्य स्तरीय नृत्य एवं गायन प्रतिभाओं की खोज के लिए वार्षिक श्रृंखला योजना — 500.00 लाख रुपये — कॉविड-19 की वजह से कोई क्रियाकलाप न होने के कारण।

(iii) गढ़वाली, कुमाऊनी व जोनसारी अकादमी को सहायता अनुदान — 2000.00 लाख रुपये — अनुदान के कम जारी होने के कारण।

(iv) मुख्यमंत्री कला एवं संस्कृति संवर्धन योजना — 1750.00 लाख रुपये — योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

6. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा — विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा — (क) विश्वविद्यालयों को सहायता — दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय — 500.00 लाख रुपये — कम अनुदान जारी होने एवं डी.टी.यू. विधेयक का मसौदा तैयार करने पर काम कर रही समिति के कारण राशि का उपयोग नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ख) उच्च शिक्षा संस्थान — (i) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (सीएसएस) — 500.00 लाख रुपये — भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण ।

(ii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (राज्य अंश) — 500.00 लाख रुपये — भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण ।

(ग) अन्य व्यय —अंग्रेजी बोलना कार्यक्रम — 6000.00 लाख रुपये —योजना के अंशतः कार्यान्वित होने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

शिक्षा निदेशालय
मुख्यशीर्ष "2202"
सामान्य शिक्षा

मू.	1180692.00)			
पू.	27.00)			
पु.	-175871.80)	1004847.20	894779.66	-110067.54

मुख्यशीर्ष "2204"
खेल एवं युवा सेवायें

मू.	26351.00)			
पु.	-19027.20)	7323.80	2310.82	-5012.98

मुख्यशीर्ष "2245"

प्राकृतिक आपदाओं से राहत

पू.	1.00)			
पु.	2499.00)	2500.00	527.67	-1972.33

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2203"

तकनीकी शिक्षा

मू.	37231.39)			
पू.	4.00)			
पु.	-871.69)	36363.70	29258.45	-7105.25

मुख्यशीर्ष "2230"

श्रम एवं रोजगार

मू.	16327.61)			
पु.	-3031.31)	13296.30	11054.91	-2241.39

भाषा विभाग**मुख्यशीर्ष "2205"**

कला एवं संस्कृति

मू.	14065.00)			
पू.	38.00)			
पु.	-1645.00)	12458.00	8020.95	-4437.05

पुरातत्व विभाग**मुख्यशीर्ष "2205"**

कला एवं संस्कृति

मू.	20067.00)			
पू.	2.00)			
पु.	-14190.00)	5879.00	3279.97	-2599.03

उच्च शिक्षा निदेशालय**मुख्यशीर्ष "2202"**

सामान्य शिक्षा

मू.	44350.00)			
पू.	3.00)			
पु.	-8128.00)	36225.00	32828.54	-3396.46

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा —(अ) प्रारंभिक शिक्षा — (क) राजकीय प्राथमिक विद्यालय — वर्तमान सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक कक्षाओं का प्रावधान -2536.99 लाख रुपये की बचत (24770.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने, रिक्त पदों को न भरने व कम खरीद, एम.ए.सी. पी./स्टैंपिंग अप मामलों एवं बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ख) प्राथमिक शिक्षा के लिए क्षेत्रीय निकायों को सहायता — (i) दिल्ली नगर निगम — प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान — 11000.00 लाख रुपये की बचत (70000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः युक्तिसंगत व्यय करने की वजह से कम निधियों के जारी करने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली नगर निगम — प्राथमिक शिक्षा के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान — 11000.00 लाख रुपये की बचत (50000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः युक्तिसंगत व्यय करने की वजह से कम निधियों के जारी करने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली नगर निगम — प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान — 12500.00 लाख रुपये की बचत (42500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः युक्तिसंगत व्यय करने की वजह से कम निधियों के जारी करने के कारण हुई।

(ग) स्कूल में मिड डे मील के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम –(i) मिड डे मील कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य अंश) –637.37 लाख रुपये की बचत (901.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा देरी से केन्द्रीय अंश जारी करने के कारण तदनुसार राज्य अंश जारी करने के कारण हुई।

(ii) मिड डे मील कार्यक्रम के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य अंश) –583.70 लाख रुपये की बचत (801.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा देरी से केन्द्रीय अंश जारी करने के कारण तदनुसार राज्य अंश जारी करने के कारण हुई।

(घ) समग्र शिक्षा – (i) समग्र शिक्षा (राज्य अंश) – 18802.55 लाख रुपये की बचत (30000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं भारत सरकार द्वारा देरी से केन्द्रीय अंश जारी करने के कारण तदनुसार राज्य अंश जारी करने के कारण हुई।

(ii) समग्र शिक्षा (सी.एस.एस) – 14010.42 लाख रुपये की बचत (26000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं भारत सरकार द्वारा देरी से केन्द्रीय अंश जारी करने के कारण हुई।

(ब) माध्यमिक शिक्षा – (क) भवन का रखरखाव – विद्यालय कल्याण समिति (वीकेएस/एसएमसी) – 2223.43 लाख रुपये की बचत (6900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्कूलों द्वारा कम मरम्मत कार्यों की वजह से कम बिलों के प्राप्त होने एवं विद्यालयों द्वारा निधियों के कम उपयोग करने के कारण हुई।

(ख) निरीक्षण – निरीक्षण – 847.24 लाख रुपये की बचत (3252.25 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम विदेशी यात्राओं व कम खरीद होने, कम बिजली/पानी के बिलों, एम.ए.सी.पी./स्टैंपिंग अप मामलों व बिलों का निपटारा न होने एवं कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन तथा युक्तिसंगत व्यय करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने के कारण हुई।

(ग) शिक्षक प्रशिक्षण – एस.सी.ई.आर.टी. को सहायता अनुदान – 5267.00 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने, व्यय के युक्तियुक्तकरण की वजह से व्यय न कर सकने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

(घ) पाठ्य पुस्तकें – (i) पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति – 2333.83 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(ii) स्कूली पुस्तकालयों में सुधार – 874.68 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पुस्तकों की कम खरीद के कारण हुई।

(ड.) परीक्षाएं – गुणवत्ता सुधार के लिए परीक्षा सुधार शाखा –1363.01 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं स्कूलों के बंद होने की वजह से परीक्षाओं का आयोजन न होने के कारण हुई।

(च) सरकारी माध्यमिक विद्यालय –(i) सरकारी माध्यमिक विद्यालय –26535.48 लाख रुपये की बचत (192141.40 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने व कम बिलों की प्राप्ति, एम.ए.सी.पी./स्टैंपिंग अप मामलों व बिलों का निपटारा न होने एवं कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन तथा व्यय के युक्तियुक्तकरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने के कारण हुई।

(ii) बारहवीं कक्षा में कंप्यूटर विज्ञान का परिचय –9963.19 लाख रुपये की बचत (17000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 की वजह से कम खरीद होने एवं इस दौरान स्कूलों के बंद रहने के कारण हुई।

(iii) युवा योजना –6988.00 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति के कारण हुई।

(iv) लड़कियों में मासिक चक्र स्वच्छता – 765.76 लाख रुपये की बचत (1450.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 के समय में कम खरीद होने की वजह से कम बिलों के प्राप्त होने एवं स्कूलों के बंद रहने के कारण हुई।

(v) अतिरिक्त स्कूली सुविधाएं – 79129.27 लाख रुपये की बचत (478551.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम बाहरी कर्मचारियों की नियुक्ति, कम बिलों की प्राप्ति एवं वित्त विभाग द्वारा कॉविड-19 महामारी को देखते हुए व्यय प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने एवं एम.ए.सी.पी./स्टैपिंग अप मामलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(vi) विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा – 3563.76 लाख रुपये की बचत (9993.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम बाहरी कर्मचारियों की नियुक्ति, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं वित्त विभाग द्वारा कॉविड-19 महामारी को देखते हुए व्यय प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने एवं एम.ए.सी.पी./स्टैपिंग अप मामलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(vii) स्कूलों में योग योजना का परिचय – 2220.70 लाख रुपये की बचत (3785.15 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम दावों के प्राप्त होने, एम.ए.सी.पी./स्टैपिंग अप मामलों व बिलों का निपटारा न होने एवं कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन तथा व्यय के युक्तियुक्तकरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने के कारण हुई।

(viii) छात्रों के लिए (स्कूली छात्रों) उद्यमिता विकास कार्यक्रम – 2999.59 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति एवं नई योजना होने की वजह से स्कूलों में केवल पाइलेट परियोजना के तौर पर आयोजित होने के कारण हुई।

(छ) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता –कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता –2203.63 लाख रुपये की बचत (64750.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एम.ए.सी.पी./स्टैपिंग अप मामलों व बिलों का निपटारा न होने एवं कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन तथा व्यय के युक्तियुक्तकरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने के कारण हुई।

(ज) समग्र शिक्षा –(i) समग्र शिक्षा (राज्य अंश) – 3802.83 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा देरी से केन्द्रीय अंश जारी करने के कारण तदनुसार राज्य अंश जारी करने के कारण हुई।

(ii) समग्र शिक्षा (सी.एस.एस) – 3077.20 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा देरी से केन्द्रीय अंश जारी करने के कारण तदनुसार राज्य अंश जारी करने के कारण हुई।

(झ) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण (एस.सी.एस.पी.) – 2674.94 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(स) सामान्य –(क) निर्देशन एवं प्रशासन – (i) निर्देशन एवं प्रशासन – 969.00 लाख रुपये की बचत (3603.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम बिलों, कम विदेशी यात्राओं व कम खरीद होने, एम.ए.सी.पी./स्टैंपिंग अप मामलों व बिलों का निपटारा न होने एवं कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन तथा व्यय के युक्तियुक्तकरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने के कारण हुई।

(ii) बोली जाने वाली अंग्रेजी कौशल और संचार क्षमता के विकास के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था – 732.68 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम विशेष कक्षाओं के आयोजन के कारण हुई।

(ख) छात्रवृत्ति –विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर एकीकृत शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.) (राज्य अंश) – 4325.41 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम दावों के प्राप्त होने, योजना की धीमी गति के कारण कम खरीद होने एवं विद्यालय स्तर पर कम व्यय होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2204"**– खेल एवं युवा सेवाएं –(क) गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम –(i) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नगद प्रोत्साहन एवं राजीव गांधी खेल पुरस्कार – 1450.68 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम संस्तुतियों के प्राप्त होने एवं कॉविड-19 की वजह से स्कूलों के बंद रहने के कारण हुई।

(ii) उत्कृष्टता अभियान – खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता – 974.00 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने व कॉविड-19 की वजह से स्कूलों के बंद रहने के कारण हुई।

(ख) खेल व क्रीड़ा – (i) खेलों एवं क्रीड़ाओं को प्रोत्साहन – 5206.11 लाख रुपये की बचत (6362.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कॉविड-19 की वजह से कम खेल क्रियाकलापों के आयोजन से कम खरीद होने, एम.ए.सी.पी./स्टैंपिंग अप मामलों व बिलों का निपटारा न होने एवं कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन तथा व्यय के युक्तियुक्तकरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने के कारण हुई।

(ii) खेल और प्रगति – खेल में उत्कृष्टता के लिए स्कूली छात्रों के लिए वित्तीय सहायता – 1443.10 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने व कॉविड-19 की वजह से स्कूलों के बंद रहने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2203"**— तकनीकी शिक्षा — (क) निर्देशन एवं प्रशासन — तकनीकी शिक्षा निदेशालय — 680.04 लाख रुपये की बचत (1572.75 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम खरीद होने व रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कुछ श्रेणियों में स्पष्टीकरण के अभाव में एम.ए.सी.पी./ए.सी.पी. के प्रस्तावों का निपटारा नहीं किया जा सका एवं भुगतान के लिए खरीद/बिलों को मूर्त रूप न दे सकने के कारण हुई।

(ख) तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता — नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान को सहायता अनुदान — 529.98 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः वित्त/योजना विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि पर विचार करते हुए राशि पर प्रतिबंध लगाने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन होने के कारण हुई।

(ग) पोलिटेक्निक — निर्देशन एवं प्रशासन — 1915.74 लाख रुपये की बचत (17548.77 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, तुलना में) मुख्यतः कुछ श्रेणियों में स्पष्टीकरण के अभाव में एम.ए.सी.पी./ए.सी.पी. के प्रस्तावों का निपटारा नहीं किया जा सका एवं भुगतान के लिए खरीद/बिलों को मूर्त रूप न दे सकने के कारण हुई।

(घ) इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान — (i) अम्बेडकर तकनीकी संस्थान — 653.63 लाख रुपये की बचत (2283.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम विदेशी यात्रा, कम खरीद होने एवं कम लाभार्थियों की संख्या एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

(ii) दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान — 705.40 लाख रुपये की बचत (2300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त/योजना विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि पर विचार करते हुए राशि पर प्रतिबंध लगाने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन होने के कारण हुई।

(iii) महिलाओं के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान — 501.51 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त/योजना विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि पर विचार करते हुए राशि पर प्रतिबंध लगाने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन होने के कारण हुई।

(iv) दिल्ली उपकरण इंजीनियरिंग संस्थान — 994.50 लाख रुपये की बचत (1750.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुदान जारी न होने, वित्त/योजना विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि पर विचार करते हुए राशि पर प्रतिबंध लगाने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2230"**— श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास — प्रशिक्षण — (क) निर्देशन एवं प्रशासन — 25 विश्व स्तरीय कौशल केन्द्रों की स्थापना — 1917.88 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, मरम्मत पर व्यय न होने, कम बिलों की प्राप्ति एवं इसके दिल्ली कौशल व उद्मयिता विश्वविद्यालय में विलय होने के कारण हुई।

(ख) शिल्पकार व पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण — शिल्पकार प्रशिक्षण योजना — 2028.79 लाख रुपये की बचत (11421.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम बाहरी कर्मचारियों की नियुक्ति, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद, लाभार्थियों की कम संख्या, स्वच्छता के बिलों के लंबित होने एवं कुछ श्रेणियों में स्पष्टीकरण के अभाव में एम.ए.सी.पी./ए.सी.पी. के प्रस्तावों का निपटारा नहीं किए जा सकने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2205"**— कला एवं संस्कृति —कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन —(i) हिन्दी अकादमी को अनुदान — 620.00 लाख रुपये की बचत (1490.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने, कॉविड-19 की वजह से कार्यक्रमों का आयोजन न होने एवं एम.ए.सी.पी. से संबंधित बकायों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ii) उर्दू अकादमी को अनुदान — 666.89 लाख रुपये की बचत (1015.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने, कॉविड-19 की वजह से कार्यक्रमों का आयोजन न होने एवं गैर जरूरी व्यय को प्राधिकृत न करने के कारण हुई।

(iii) पंजाबी अकादमी को अनुदान — 2552.49 लाख रुपये की बचत (2915.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने, रिक्त पदों एवं कॉविड-19 की वजह से कार्यक्रमों का आयोजन न होने के कारण हुई।

(iv) साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान (सामान्य अनुदान) — 619.38 लाख रुपये की बचत (890.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने, कॉविड-19 की वजह से कार्यक्रमों का आयोजन न होने एवं गैर जरूरी व्यय न करने के कारण हुई।

(v) मैथिली व भोजपुरी अकादमी को सहायता अनुदान — 1771.65 लाख रुपये की बचत (1800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(vi) सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए नई पहल — गली थियेटर एवं प्रदर्शन कलाएं —576.44 लाख रुपये की बचत (600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्यक्रमों का आयोजन न होने एवं कॉविड-19 की वजह से कम गतिविधियों व स्ट्रीटफैल्लो के चयन की प्रक्रिया में देरी होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा —विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा — विश्वविद्यालयों को सहायता — अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना — 6150.00 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 4609.18 लाख रुपये की अधिक बचत 13 उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा — (अ) प्रारम्भिक शिक्षा —स्कूलों में मिड-डे मील के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम — (i) बच्चों के लिए मिड-डे मील (सी.एस.एस.) — 735.02 लाख रुपये का अधिक व्यय (5001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार छात्रों को सूखा राशन उपलब्ध कराने की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) बच्चों के लिए मिड-डे मील (राज्य अंश) — 617.85 लाख रुपये का अधिक व्यय (2764.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार छात्रों को सूखा राशन उपलब्ध कराने की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ब) माध्यमिक शिक्षा – (क) गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता – शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 6888.36 लाख रुपये का अधिक व्यय (11001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः जिलों द्वारा अतिरिक्त मांग के कारण हुआ।

(ख) समग्र शिक्षा – (i) समग्र शिक्षा – शिक्षक शिक्षा (सी.एस.एस.) – 800.71 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से नई योजना शुरू करने के लिए अनुदान प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) समग्र शिक्षा – शिक्षक शिक्षा (राज्य अंश)–1748.93 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः नई योजना खोलने के लिए आवश्यकता के अनुसार प्रावधान रखने के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2245"** – प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत – सामान्य – निर्देशन एवं प्रशासन – अतिरिक्त भूख राहत केन्द्र – 526.67 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 के लिए अतिरिक्त भूख राहत केन्द्रों पर नई योजना शुरू करने के कारण हुआ।
3. **मुख्यशीर्ष "2202"** – सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – गैर सरकारी कॉलेजों को सहायता – डिग्री कॉलेजों को सहायता अनुदान – 3073.70 लाख रुपये का अधिक व्यय (23502.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 252.04 लाख रुपये का अधिक व्यय एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुआ जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 26787.83 लाख रुपये की कुल बचत थी (38815.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 69.01 प्रतिशत थी।

7630.00 लाख रुपये की राशि 15 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – खेल, युवा सेवाएं, खेल स्टेडियम – अन्य व्यय – खेल मैदान, खेल परिसर, तरणताल आदि का विकास – 2465.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति एवं कॉविड-19 की वजह से स्कूलों के बंद रहने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "6202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण – तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान – इंद्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान (आईआईआईटी) दिल्ली को ऋण – 1000.00 लाख रुपये – फीस से प्राप्त राजस्व की वजह से पर्याप्त निधि होने के कारण आईआईआईटीडी से कोई प्रस्ताव न मिलने के कारण।
3. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – कला एवं संस्कृति – ललित कला शिक्षा – दिल्ली कला केन्द्र – 1000.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति एवं दिल्ली कला केन्द्र के निर्माण के लिए भूमि पर निर्णय न होने के कारण।

4. **मुख्यशीर्ष "4202"**— शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय — सामान्य शिक्षा — विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा — खेल विश्वविद्यालय की स्थापना — 2000.00 लाख रुपये — कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के अस्तित्व में न होने एवं सम्बंधित अधिकारियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "4202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	7465.00)			
पु.	-3465.00)	4000.00	378.65	-3621.35

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "4202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	18360.00)			
पु.	-5730.00)	12630.00	10882.35	-1747.65

मुख्यशीर्ष "4250"

अन्य सामाजिक सेवाओं

पर पूंजी परिव्यय

मू.	7156.00)			
पु.	-5106.00)	2050.00	657.53	-1392.47

भाषा विभाग

मुख्यशीर्ष "4202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	2000.00)			
पु.	-1800.00)	200.00	100.00	-100.00

पुरातत्व विभाग

मुख्यशीर्ष "4202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	662.00)			
पु.	-352.00)	310.00	3.03	-306.97

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4202"**— शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय — (अ) सामान्य शिक्षा — सामान्य — विद्यालय भवनों के काम की आउटसोर्सिंग —4621.35 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं कॉविड-19 की वजह से व्यय के युक्तियुक्तकरण के कारण हुई।

(ब) तकनीकी शिक्षा – (क) पोलिटेक्निक – उपकरण – 819.77 लाख रुपये की बचत (860.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मशीनरी व उपकरण की कम खरीद होने एवं सी.एन.सी. मशीनों/उपकरणों की खरीद के लिए ऑर्डर मार्च 2021 में कर दिया गया था परन्तु डिलीवरी अवधि पर प्रतिबंध व उद्योगों में कॉविड-19 के प्रतिबंध होने की वजह से आपूर्ति समय से प्राप्त न हो सकने के कारण हुई।

(ख) इंजीनियरिंग तकनीकी कॉलेज और संस्थान – स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं – 6157.88 लाख रुपये की बचत (17000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं विभाग प्रमुख के चुनाव ड्यूटी में रहने की वजह से मार्च 2021 में एन.एस.यू.टी. से प्राप्त 11.79 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही न कर सकने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "4250"**– अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय – श्रम – (i) उपकरण –622.14 लाख रुपये की बचत (950.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं सी.एन.सी. मशीनों/उपकरणों की खरीद के लिए ऑर्डर मार्च 2021 में कर दिया गया था परन्तु डिलीवरी अवधि पर प्रतिबंध व उद्योगों में कॉविड-19 के प्रतिबंध होने की वजह से आपूर्ति समय से प्राप्त न हो सकने के कारण हुई।

(ii) 25 कौशल केन्द्रों की स्थापना – 5370.33 लाख रुपये की बचत (5700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने एवं कार्य की धीमी प्रगति व कॉविड-19 महामारी के कारण नए डब्लू.सी.एस.सी. के निर्माण के लिए डी.टी.टी.डी.सी. को 90 प्रतिशत अग्रिम भुगतान जारी करने के प्रस्ताव को सक्षम अधिकारी द्वारा रोकने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "4202"**– शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – कला एवं संस्कृति – अन्य व्यय – (i) ए.सी.एल. भवन का निर्माण/नवीनीकरण-900.00 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गतिके कारण हुई।

(ii) स्मारकों का संरक्षण – 601.97 लाख रुपये की बचत (605.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, कॉविड-19 महामारी की लॉकडाउन की अवधि के दौरान स्मारकों के संरक्षण के कार्य की प्रगति स्थगित रहने, क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं आईएनटीएसीएच, दिल्ली को अंतिम भुगतान जारी करने के लिए वित्त विभाग की मंजूरी के अमल में नहीं लाए जा सकने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रुपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित			
मूल	27,04,60)		
पूरक	4,50)	27,09,10	25,35
			-26,83,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-18,89,00
स्वीकृत-			
मूल	6330,42,40)		
पुनःविनियोग	15,20,02)		
पूरक	101,40,03)	6447,02,45	5611,13,77
			-835,88,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-4,87
पूँजीगत			
प्रभारित			
पूरक	3,77)	3,77	3,76
			-1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
स्वीकृत-			
मूल	282,14,00)		
पुनःविनियोग	-15,20,02)		
पूरक	15,68,25)	282,62,23	115,75,95
			-166,86,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-37,44,98
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 2683.75 लाख रुपये की कुल बचत थी (2709.10 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 99.06 प्रतिशत थी।

344.10 लाख रुपये की राशि 15 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	2062.00)			
पु.	-1962.00)	100.00	9.51	-90.49

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी — निर्देशन एवं प्रशासन — चिकित्सा स्थापना — 2052.49 लाख रुपये की बचत (2062.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अदालती मुकदमों का निपटारा न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 287.16 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 83588.68 लाख रुपये की कुल बचत थी (644702.45 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, 10140.03 लाख रुपये के पूरक प्रावधान एवं 1520.02 लाख रुपये के विनियोजित प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 12.97 प्रतिशत थी।

35698.00 लाख रुपये की राशि 59 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी — (क) राज्य कर्मचारी बीमा योजना — कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान — 500.00 लाख रुपये — योजना के अंतर्गत कोई योगदान न होने के कारण।
 - (ख) अन्य स्वास्थ्य योजनाएं — (i) पी.पी.पी. के माध्यम से प्रयोगशाला की सुविधा — 1800.00 लाख रुपये — योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।
 - (ii) स्वास्थ्य कार्ड — 2000.00 लाख रुपये — योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।
 - (iii) आम आदमी मोहल्ला सोसाईटी को सहायता अनुदान — 22000.00 लाख रुपये — अनुदान जारी न होने के कारण।
 - (ब) सार्वजनिक स्वास्थ्य — (क) प्रशिक्षण — प्रशिक्षण एवं विनिमय कार्यक्रम (प्रबंध कौशल एवं कर्मचारी कौशल) — 500.00 लाख रुपये — कोई प्रशिक्षण क्रियाकलाप न होने के कारण।
 - (ख) जन स्वास्थ्य प्रचार — मुख्यमंत्री स्वास्थ्य अभियान — 2500.00 लाख रुपये — विज्ञापन एवं प्रचार पर कोई व्यय न होने के कारण।
 - (ग) अन्य व्यय — रोगी कल्याण समिति को सहायता अनुदान — 1500.00 लाख रुपये — कम अनुदान जारी होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(स) सामान्य – आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई.) – आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा (सी.एस.एस.) – 2000.00 लाख रुपये – भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2211"** – परिवार कल्याण – मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य – विशेष प्रतिरक्षण योजना एम.एम.आर – 850.00 लाख रुपये – सी.पी.ए. द्वारा टीकों की खरीद होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	273328.00)			
पू.	8807.93)			
पु.	12680.25)	294816.18	246971.11	-47845.07

जी. बी. पंत अस्पताल

मू.	37971.00)			
पु.	-1206.00)	36765.00	29977.04	-6787.96

दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल

मू.	32062.00)			
पु.	-2246.00)	29816.00	28623.43	-1192.57

गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

मू.	40807.00)			
पु.	-2806.50)	38000.50	34461.04	-3539.46

मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय

मू.	22010.00)			
पू.	0.10)			
पु.	-0.10)	22010.00	21208.08	-801.92

परिवार कल्याण निर्देशालय

मुख्यशीर्ष "2211"

परिवार कल्याण

मू.	17430.00)			
पु.	-2645.00)	14785.00	6943.53	-7841.47

आयुष निर्देशालय

मू.	11275.00)			
पु.	-430.00)	10845.00	10109.93	-735.07

डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल

मू.	19645.00)			
पु.	-519.00)	19126.00	18671.56	-454.44

डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

मू.	3549.00)			
पु.	-840.00)	2709.00	2472.82	-236.18

आचार्य भिक्षु अस्पताल

मू.	6095.00)			
पु.	-169.00)	5926.00	5193.76	-732.24

जगप्रवेश चंद्र अस्पताल

मू.	6300.00)			
पु.	-150.00)	6150.00	5441.55	-708.45

लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल

मू.	8067.00)			
पु.	65.00)	8132.00	7373.34	-758.66

गुरु गोविंद सिंह अस्पताल

मू.	6190.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-331.00)	5860.00	5464.03	-395.97

बाबू जग जीवनराम अस्पताल

मू.	5860.00)			
पु.	-689.00)	5171.00	5055.40	-115.60

महर्षि बाल्मिकी अस्पताल

मू.	5695.00)			
पु.	-184.00)	5511.00	5173.17	-337.83

सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल

मू.	5210.00)			
पु.	-650.00)	4560.00	4229.41	-330.59

ए.एवं.यू. तिब्बिया कालेज

मू.	3599.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-448.00)	3152.00	2918.83	-233.17

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**मुख्यशीर्ष "2210"****चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य**

मू.	5000.00)			
पु.	-4000.00)	1000.00	104.52	-895.48

दीप चंद बंधु अस्पताल

मू.	6580.00)			
पु.	-387.00)	6193.00	5805.59	-387.41

अम्बेडकर नगर अस्पताल

पू.	7.00)			
पु.	763.00)	770.00	532.40	-237.60

बुराड़ी अस्पताल

पू.	1009.00)			
पु.	1071.00)	2080.00	289.44	-1790.56

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवायें ऐलोपैथी — (क) निर्देशन एवं प्रशासन — चिकित्सा स्थापना — 772.34 लाख रुपये की बचत (2998.20 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, रिक्त पदों, कम विदेशी यात्राओं एवं कम खरीद होने के कारण हुई।
 - (ख) अस्पताल एवं औषधालय —(i) सरकारी औषधालय — 2102.33 लाख रुपये की बचत (21189.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम कर्मचारियों की नियुक्ति, कम बिलों/दावों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।
 - (ii) मानव व्यवहार तथा सम्बन्ध विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान — 1101.00 लाख रुपये की बचत (13201.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्त विभाग के स्वीकृति आदेश के अनुसार व्यय करने के कारण हुई।
 - (iii) दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान — 6500.00 लाख रुपये की बचत (11000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से केवल अनिवार्य अभियांत्रिकी कार्य ही क्रियान्वित होने के कारण हुई।
 - (iv) मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान — 800.00 लाख रुपये की बचत (5700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी की वजह से पी.डब्ल्यू.डी. से फेस-II भवन को न लेने के कारण हुई।
 - (v) जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सोसाइटी को सहायता अनुदान — 3200.00 लाख रुपये की बचत (5100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने, रिक्त पदों के न भरने एवं ओ.टी. के लिए नये उपकरणों की खरीद की कार्यवाही न हो सकने के कारण हुई।
 - (vi) राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सहायता अनुदान — 1300.00 लाख रुपये की बचत (7500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी के फैलने एवं सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर देने से 13 करोड़ रुपये के शेष सहायता अनुदान का दावा न कर सकने के कारण हुई।
 - (vii) चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय को सहायता अनुदान — 2275.00 लाख रुपये की बचत (9200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं सहायता अनुदान के रूप में कम राशि प्राप्त करने के कारण हुई।
- (ग) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना — (i) जेजे क्लस्टर्स के लिए मोबाइल वैन औषधालय (एससीएसपी) — 630.22 लाख रुपये की बचत (2123.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने, एम.एच.एस. भवन के मरम्मत कार्य के प्रस्ताव के प्रक्रियाधीन होने एवं कोर्ट केस की वजह से मेसर्स करिश्मा ट्रेवल्स का भुगतान लंबित होने के कारण हुई।
- (ii) स्वास्थ्य केन्द्र (एससीएसपी) — 1048.16 लाख रुपये की बचत (7264.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, बाहरी कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित कम बिलों के प्राप्त होने एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(घ) अन्य व्यय – (i) केन्द्रीयकृत दुर्घटना एवं अपघात सेवाओं के लिए सहायता अनुदान – 2076.00 लाख रुपये की बचत (9501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः सहायता अनुदान के रूप में कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता अनुदान – 3680.00 लाख रुपये की बचत (9500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः बार-बार लॉकडाउन लगने की स्थिति एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से योजनाओं में कम व्यय होने के कारण हुई।

(iii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता अनुदान – 544.00 लाख रुपये की बचत (4520.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः महामारी की वजह से बिलों को देरी से प्रस्तुत करने के कारण हुई।

(iv) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस) – 2509.00 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान मिलने की वजह से कम राशि जारी करने के कारण हुई।

(v) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (सी.एस.एस) – 1962.55 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान मिलने की वजह से कम राशि जारी करने के कारण हुई।

(vi) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (राज्य अंश) – 1385.03 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा कम अनुदान जारी करने के कारण राज्य अंश में कम निधियों की मांग के कारण हुई।

(ब) जन स्वास्थ्य – (क) बीमारियों से बचाव तथा नियंत्रण – वेक्टर जनित रोग – 4878.19 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – (i) यकृत एवं पैल्लिक विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान – 7500.00 लाख रुपये की बचत (11500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वर्ष के दौरान सहायता अनुदान – पूंजीगत के शीर्ष में कोई सहायता अनुदान प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 510.00 लाख रुपये की बचत (619.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान जारी न हो सकने के कारण हुई।

(स) सामान्य – अन्य व्यय – (i) केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी एवं राज्य औषधी प्राधिकरण – 10160.69 लाख रुपये की बचत (30000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं कम खरीद होने की वजह से कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ii) दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना – पेंशनरों को चिकित्सा सेवाएं – 7804.76 लाख रुपये की बचत (27000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों की प्राप्ति एवं बिलों के प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली आरोग्य कोष – 5000.00 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी की वजह से दिल्ली सरकार के अस्पतालों/पोलिक्लिनिकों/औषधालयों आदि में लोगों के काफी कम आने एवं कम संख्या में योग्य रोगियों को योजना के लिए अधिकृत/संदर्भित करने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवायें — ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — (i) जी.बी.पंत अस्पताल — 7296.19 लाख रुपये की बचत (37215.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, बाहरी कर्मचारियों की कम भर्ती करने, कम बिलों के प्राप्त होने, कम विदेशी यात्राओं, लॉकडाउन के दौरान खपत में कमी होने एवं लम्बी महामारी की वजह से प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई।
- (ii) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, अस्पताल प्रशासन का पुनरुद्धार — 3363.87 लाख रुपये की बचत (31987.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम बाहरी कर्मचारियों की नियुक्ति, कम खरीद होने, बिजली/पानी एवं अन्य व्यय के कम बिलों, मरम्मत पर कम व्यय एवं अधिवक्ताओं द्वारा बिलों के जमा न कराने के कारण हुई।
- (iii) गुरु तेग बहादुर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल — 6245.96 लाख रुपये की बचत (40707.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, बाहरी कर्मचारियों के विस्तार के लिए अनुमोदन के प्राप्त न होने, डॉक्टरों को ओ.टी.ए., डी.टी.ए. देने के लिए सरकार की नीति में बदलाव होने, कॉविड से सम्बंधित यात्राओं पर पाबंदी होने, बिजली के बिलों के कम प्राप्त होने, नीति के आधार पर छात्रवृत्ति व वजीफों को जारी करने एवं जून 2020 से फरवरी 2021 तक जी.टी.बी. अस्पताल को कॉविड-19 समर्पित अस्पताल घोषित करने की वजह से कोरोना रोगियों की सेवाओं को छोड़कर सभी दैनिक सेवाओं को रोक देने के कारण हुई।
- (ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान — ऐलोपैथी — शिक्षा — मौलाना आजाद चिकित्सा कॉलेज — 792.02 लाख रुपये की बचत (22000.10 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 0.10 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, वित्त विभाग द्वारा पुस्तकालयों की किताबों व पत्रिकाओं की खरीद की निविदाओं का अनुमोदन न करने एवं कॉविड-19 के फैलने की वजह से व्यय प्रबंधन एवं व्यय के युक्तियुक्तकरण के कारण हुई।
3. **मुख्यशीर्ष "2211"**— परिवार कल्याण — (क) शहरी परिवार कल्याण सेवाएं — (i) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी.एस.एस) — 1800.66 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के रहने, दावों/बिलों के न मिलने, ओ.ई. में व्यय न होने एवं कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।
- (ii) शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का पुनरुद्धार (सी.एस.एस) — 751.39 लाख रुपये की बचत (800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं भारत सरकार से कम निधियों के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) अन्य व्यय — दिल्ली स्वास्थ्य सोसाइटी को सहायता अनुदान (दिल्ली) — 5500.00 लाख रुपये की बचत (11000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण हुई।
4. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — शहरी स्वास्थ्य सेवाये — शहरी स्वास्थ्य सेवाये चिकित्सा की अन्य पद्धतियां — आयुर्वेद — आयुष निदेशालय — 588.31 लाख रुपये की बचत (3187.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों की प्राप्ति, कॉविड-19 की वजह से मितव्ययता के लिए जारी निर्देशों की वजह से कम व्यय करने, समय से बिलों के जमा न कराने, प्रत्याशित दावों के प्राप्त न होने एवं करीब 100 आयुर्वेदिक यूनानी श्रेष्ठ दवाईयों की निविदाओं का निपटारा न होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाये — ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल — 951.81 लाख रुपये की बचत (19590.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कोर्ट केसों का निपटारा न होने, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान — ऐलोपैथी — डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल — 1018.15 लाख रुपये की बचत (3489.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के कम भरने, नया संस्थान होने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कॉविड-19 की वजह से प्रस्तावित कोर्स/अनुसंधान कार्य के एक साल के लिए स्थगित होने, अनुबंधित शिक्षा संकायों के संबंध में वेतन के संशोधन के प्रस्तावों का निपटारा न होने, बाहरी ठेकेदारों द्वारा समय से दावों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 की वजह से कम खरीद होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — शहरी स्वास्थ्य सेवाये — ऐलोपैथी — (क) अस्पताल एवं औषधालय — (i) आचार्य भिक्षु अस्पताल — 901.24 लाख रुपये की बचत (6095.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, व्यय प्रबंधन एवं एल.टी.सी./डी.ए. पर पाबंदी होने एवं कुछ विक्रेताओं के द्वारा बिलों के जमा न कराने के कारण हुई।

(ii) जग प्रवेश चंद्र अस्पताल — 858.45 लाख रुपये की बचत (6300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कॉविड-19 की वजह से ओ.पी.डी. सेवाओं व सर्जरी में कमी होने एवं सरकार द्वारा आर्थिक पाबंदियों के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना — (i) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस.सी.एस.पी) — 667.18 लाख रुपये की बचत (8037.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः बाहरी बिलों के प्राप्त न होने एवं कॉविड-19 की वजह से व्यय के युक्तियुक्तकरण के कारण हुई।

(ii) गुरु गोविंद सिंह अस्पताल (एस.सी.एस.पी) — 726.97 लाख रुपये की बचत (6191.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः महंगाई भत्ते को रोक देने, कम खरीद व कम दावों/बिलों एवं कपड़ों की धूलाई व किचन सेवाओं पर कम व्यय होने एवं निविदाओं का निपटारा न होने, रिक्त पदों के होने, वित्त विभाग के आदेशानुसार व्यय करने एवं सी.डी.ए. सी. से भौतिक हलफनामों के अभाव में आई.टी.शीर्ष के अंतर्गत निधियों का उपयोग न हो सकने के कारण हुई।

(iii) बाबू जग जीवन राम अस्पताल (एस.सी.एस.पी) — 804.60 लाख रुपये की बचत (5860.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, महंगाई भत्ते को रोक देने, कम एल.टी.सी. बिलों, ठेकेदारों को कोई बकायों का भुगतान न करने, कम बिलों की प्राप्ति, व्यय को युक्तिसंगत बनाने, डॉक्टरों के वाहन भत्तों का निपटारा न होने, उपलब्ध शेष बजट से अधिक राशि के बिलों के प्राप्त होने, अदालती मुकदमों का निपटारा न होने एवं जी.ई.एम. पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न मशीनों की आपूर्ति न होने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — (i) महर्षिबाल्मीकिअस्पताल — 516.83 लाख रुपये की बचत (5690.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः बाहरी कर्मचारियों की कम भर्ती होने, नये एम.वी.एच. ब्लॉक के पूरी तरह से कार्यात्मक न होने एवं कॉविड-19 की वजह से कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम न होने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने एवं फाईलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ii) सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल, नरेला – 980.59 लाख रुपये की बचत (5210.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वर्ष 2020-21 में महंगाई भत्तों को न देने, कम दावों की प्राप्ति एवं अस्पताल के समर्पित कॉविड-19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित होने की वजह से कुछ खरीद प्रस्तावों के क्रियान्वित न होने एवं कॉविड-19 के लिए डी.एस.एच.एम. से निधियों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ब) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – औषधियों की अन्य प्रणालियां – आयुर्वेद – ए एवं यू तिब्बिया कॉलेज – 681.17 लाख रुपये की बचत (3600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, ठेकेदारों की दरों का अनुमान से कम दर पर रहने, कम दावों की प्राप्ति एवं ओ.पी.डी. सेवाओं के कॉविड-19 की वजह से स्थगित रहने के कारण दवाईयों की कम खपत होने, एल.टी.सी. के संबंध में कम राशियों के दावों, समय से स्वीकृतियों के न मिलने एवं पूर्व प्रशिक्षुओं के बकाया भुगतान के लिए जरूरी जानकारी व बैंक विवरणों के न मिलने के कारण हुई।

(स) जन स्वास्थ्य – अन्य व्यय – प्राथमिक/माध्यमिक/क्षेत्रीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत – 4895.48 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 की वजह से योजना की धीमी गति एवं एच.आई.एम.एस. की निविदाओं के रद्द होने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) दीप चंद बंधु अस्पताल – 774.41 लाख रुपये की बचत (6580.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों की प्राप्ति, रिक्त पदों के न भरने, विशेष एल.टी.सी. कैश पैकेज का उपयोग न करने, कॉविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न निविदाओं की प्रक्रिया का निपटारा न होने, विक्रेता द्वारा अनुबंध के टी. एंड सी. के आधार पर वैधानिक दायित्वों के पूरा न करने एवं अस्पताल का पूर्णतः कॉविड-19 अस्पताल में परिवर्तित होने के कारण हुई।

(ii) बुराड़ी में 700 बेडों का अस्पताल – 718.56 लाख रुपये की बचत (1008.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः डॉक्टरों, नर्सों व अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों को अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं से नियुक्त करने की वजह से व्यय में बचत होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 4983.34 लाख रुपये की बचत 13 उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – ऐलोपैथी – (क) अस्पताल एवं औषधालय – आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक के लिए दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान – 3622.07 लाख रुपये का अधिक व्यय (8902.93 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 8402.93 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ख) अन्य स्वास्थ्य योजनाएं – कॉविड-19 के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के लिए सहायता अनुदान (एन.आर.एच.एम.) (सी.एस.एस.) – 22133.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से निधियों के प्राप्त होने, नई योजना की शुरुआत होने एवं सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ग) अन्य व्यय – एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत कॉविड-19 के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के लिए सहायता अनुदान (सी.एस.एस.) – 43011.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से निधियों के प्राप्त होने, नई योजना की शुरुआत होने एवं सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – अम्बेडकर नगर अस्पताल – 526.40 लाख रुपये का अधिक व्यय (6.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः नये अस्पताल के लिए प्रावधान रखने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 860.07 लाख रुपये का अधिक व्यय दो उपशीर्षों के अंतर्गत हुआ जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 0.01 लाख रुपये की कुल बचत थी (3.77 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 0.27 प्रतिशत थी।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 16686.28 लाख रुपये की कुल बचत थी (28262.23 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, 1568.23 लाख रुपये के पूरक प्रावधान एवं 1520.02 लाख रुपये के विनियोजित प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 59.04 प्रतिशत थी।

16048.23 लाख रुपये की राशि 9 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-।

1. **मुख्यशीर्ष "4210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय – (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – केन्द्रीय खरीद एजेंसी और राज्य दवा प्राधिकरण – 15000.00 लाख रुपये – कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने, सीटी स्कैन मशीनों की खरीद न होने एवं विभिन्न अस्पतालों के लिए सी.पी.ए. द्वारा 1000 एम.ए. डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम की खरीद होने के कारण।

(ब) सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य में निवेश – दिल्ली स्वास्थ्य देखभाल निगम के लिए इक्विटी पूँजी – 500.00 लाख रुपये – कम इक्विटी पूँजी के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय

मुख्यशीर्ष "4210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
पर पूंजीगत परिव्यय

मू. 17300.00)

पु. -14783.98)

2516.02

85.97

-2430.05

लोक नायक अस्पताल

मू.	2010.00)			
पू.	1522.02)			
पु.	-1776.98)	5309.00	5093.19	-215.81

गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

मू.	2000.00)			
पु.	-7.00)	1993.00	1018.97	-974.03

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय — शहरी स्वास्थ्य सेवाएं — ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — (i) भवन — औषधालय/स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन निर्माण — 1414.03 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः डी.एस.एच.एम. द्वारा बजट के रखने के कारण हुई।

(ii) गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल — 981.03 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः जून 2020 से फरवरी 2021 तक जी.टी.बी. अस्पताल को कॉविड-19 समर्पित अस्पताल घोषित करने की वजह से सभी दैनिक सेवाओं जैसे की ओ.पी.डी., ओ.टी. व आपातकालीन सेवाओं के कार्यान्वित न होने की वजह से मशीनों व उपकरणों की खरीद न होने के कारण हुई।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थी:-

1. **मुख्यशीर्ष "4210"**—चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं — ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — लोक नायक अस्पताल — 508.16 लाख रुपये का अधिक व्यय (2001.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 की वजह से 5 एम्बुलेंस खरीदने एवं अधिक मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने के कारण हुआ।

(ब) जन स्वास्थ्य — बीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण — क्षेत्रीय कैंसर देखभाल केन्द्र (सी.एस.एस.) — 1053.01 लाख रुपये का अधिक व्यय (1530.52 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1520.52 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 467.14 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

अनुदान संख्या 8 – समाज कल्याण

कुल अनुदान या विनियोजन		वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
<u>प्रभारित</u>	<u>4.00</u>	..	<u>-4.00</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<u>कुछ नहीं</u>
स्वीकृत			
मूल	8458,13,00)		
पूरक	32,50)	8458,45,50	7431,57,46
			-1026,88,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-261,70,50
पूंजीगत			
स्वीकृत			
मूल	1650,86,00)		
पूरक	1,00)	1650,87,00	907,27,89
			-743,59,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-711,48,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 4.00 लाख रुपये की कुल बचत थी (4.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि स्वीकृत विनियोजन का 100.00 प्रतिशत थी।

4.00 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्ष के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 102688.04 लाख रुपये की कुल बचत थी (845845.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 32.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 12.14 प्रतिशत थी।

42813.70 लाख रुपये की राशि 79 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "2235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) विकलांगों का कल्याण – मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पुनर्वास सेवा योजना (एम.डी.पी.एस.वाई.) – 1000.00 लाख रुपये – माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार योजना के पुनः प्रारूपण एवं योजना के निर्माण चरण के अंतर्गत होने के कारण।

(ख) बाल कल्याण – प्रोत्साहित आंगनवाडी उन्नयन योजना – 1500.00 लाख रुपये – प्रशासनिक कारणों एवं कॉविड-19 के कारण प्रक्रिया के समय से शुरू न हो सकने के कारण।

(ग) महिला कल्याण – महिलाओं की गरिमा के लिए व्यवहार परिवर्तन – 2000.00 लाख रुपये – अनुमोदन के समय से प्राप्त न होने एवं वेतन व लेखा कार्यालय द्वारा बिलों का निपटारा न करने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2236"**– पोषण –पोषक आहार एवं पेयों का वितरण–विशेष पोषक कार्यक्रम – पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त आहार–2000.00 लाख रुपये – प्रशासनिक कारणों की वजह से प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न होने एवं अतिरिक्त आहार की शुरुआत न होने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "2225"**– अ.जा/अ.ज.जा एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण – (अ) अनुसूचित जातियों का कल्याण – (क) शिक्षा – (i) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना – 1000.00 लाख रुपये – पी.एफ.एम.एस. पर डाटा अपलोड न करने की वजह से भुगतान की कार्यवाही नहीं करने के कारण।

(ii) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (सी.एस.एस.) – 1000.00 लाख रुपये – सम्बंधित मंत्रालय से निधियों के प्राप्त न होने के कारण।

(iii) मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना – 10000.00 लाख रुपये – लाभार्थियों की संख्या कम होने एवं योजना के दिशा निर्देशों पर अंतिम निर्णय न होने के कारण।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना (एस.सी.एस.पी.) – 5000.00 लाख रुपये – कॉविड-19 की वजह से कोचिंग संस्थानों के द्वारा कोई भी शारीरिक प्रशिक्षण कक्षाओं के आयोजन की आज्ञा न मिलने एवं योजना के दिशा निर्देशों पर अंतिम निर्णय न होने के कारण।

(ब) पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा –अल्पसंख्यकों/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना – 6000.00 लाख रुपये –कॉविड-19 की वजह से कोचिंग संस्थानों के द्वारा योजना के अंतर्गत कोई भी शारीरिक प्रशिक्षण कक्षाओं के आयोजन की आज्ञा न मिलने के कारण।

4. **मुख्यशीर्ष "3055"**– सड़क परिवहन –सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता – राज्य विद्युतिय वाहन फंड – 5000.00 लाख रुपये – राज्य विद्युतिय वाहन फंड के अंतर्गत कम सब्सिडी जारी होने एवं निधियों के हस्तांतरण व उपयोग के तौर तरीकों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के कारण।

5. **मुख्यशीर्ष "3452"**– पर्यटन – सामान्य– (क) निर्देशन एवं प्रशासन – मंत्री मण्डल के लिए सार्वजनिक संलग्नता – 800.00 लाख रुपये – कॉविड-19 महामारी की वजह से कम कार्यक्रमों का आयोजन होने एवं कॉविड-19 की वजह से मंत्री मण्डल के जन सहभागिता कार्यक्रम न हो सकने के कारण।

(ख) पदोन्नति एवं प्रचार – (i) भारत दर्शन पार्क के विकास के लिए डी.टी.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान – 1000.00 लाख रुपये – डी.टी.टी.डी.सी. को अनुदान जारी न होने के कारण।

(ii) साम्प्रदायिक सदभाव के अभियान के लिए डी.टी.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान – 2500.00 लाख रुपये – कॉविड-19 की वजह से डी.टी.टी.डी.सी. को अनुदान जारी न कर सकने के कारण।

(iii) पूर्वांचल त्योहार के लिए डी.टी.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान – 1000.00 लाख रुपये – कम अनुदान जारी होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

सामाजिक कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	188504.80)			
पू.	15.50)			
पु.	-9140.40)	179379.90	154368.93	-25010.97

महिला एवं बाल विकास निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	138991.00)			
पू.	7.00)			
पु.	8058.10)	147056.10	130711.50	-16344.60

मुख्यशीर्ष "2236"

पोषण

मू.	19900.00)			
पू.	2.00)			
पु.	-2655.00)	17247.00	15149.39	-2097.61

अ.जाति/अ.ज.जाति

एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "2225"

अ.जाति/अ.ज.जाति

एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

मू.	36515.00)			
पू.	4.00)			
पु.	-10267.00)	26252.00	4831.92	-21420.08

परिवहन विभाग

मुख्यशीर्ष "2041"

वाहनों पर कर

मू.	27583.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-3591.40)	23992.60	17493.00	-6499.60

मुख्यशीर्ष "2245"

प्राकृतिक आपदाओं

के लिए राहत

पू.	2.00)			
पु.	8757.40)	8759.40	7843.75	-915.65

मुख्यशीर्ष "3055"

सड़क परिवहन

मू.	414103.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-1476.00)	412628.00	409586.00	-3042.00

पर्यटन विभाग

मुख्यशीर्ष "3452"

पर्यटन

मू.	19243.00)			
पु.	-15707.00)	3536.00	2621.44	-914.56

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण — (अ) समाज कल्याण — (क) वृद्ध, निशक्त एवं निस्सहायों का कल्याण — वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) — 10360.44 लाख रुपये की बचत (120000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम संख्या में लाभार्थियों के होने, पेंशनरों की मृत्यु होने एवं पी.एफ.एम.एस./बैंकों द्वारा अवितरित पेंशन को वापस लौटा देने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना — (i) वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) (एस.सी.एस.पी.) — 17248.06 लाख रुपये की बचत (18000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निधियों के पुनःविनियोग के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त न हो सकने के कारण हुई।

(ii) विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता(एस.सी.एस.पी.) — 3754.40 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निधियों के पुनःविनियोग के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त न हो सकने के कारण हुई।

(ब) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम — राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना — इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.)(एन.एस.ए.पी.) (सी.एस.एस) — 1058.39 लाख रुपये की बचत (4400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम निधियों के प्राप्त होने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "2235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण — समाज कल्याण — (क) बाल कल्याण — (i) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (सी.एस.एस) — 1636.37 लाख रुपये की बचत (8001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः सी.डी.पी.ओ., पर्यवेक्षकों व ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. के रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(ii) आईसीडीएस (सामान्य) — राज्य अंश — 780.39 लाख रुपये की बचत (4500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सी.डी.पी.ओ. व पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(ख) महिलाकल्याण — (i) महिलाओं के लिए राज्य आयोग — 860.75 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) लाडली योजना — 858.73 लाख रुपये की बचत (9000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम आवेदनों की प्राप्ति, जिला कार्यालयों में कम संख्या में नए मामलों के प्राप्त होने एवं स्कूलों से कम संख्या में नवीकरण मामलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) (एन.एस.ए.पी.) (सी.एस.एस) — 759.85 लाख रुपये की बचत (1350.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम निधियों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iv) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) (राज्य अंश) – 502.15 लाख रुपये की बचत (1702.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः आवश्यक सेवाओं से अलग व्यय पर पाबंदी होने, स्टोर मदों की खरीद न होने, निधियों के जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव होने, राज्य देयताओं के न मिलने एवं भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – विधवाओं को पेंशन (एससीएसपी) – 5941.88 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एस.सी.एस.पी श्रेणी के अंतर्गत कम आवेदकों द्वारा आवेदन करने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2236"** – पोषण – पोषक आहार एवं पेयों का वितरण – विशेष पोषण कार्यक्रम – पोषण अभियान (सीएसएस) – 1215.21 लाख रुपये की बचत (1851.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः जनवरी 2021 में पोषण अभियान के अंतर्गत अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अ.ज./अ.ज.जा. व पिछड़ा वर्ग का कल्याण – अनुसूचित जाति का कल्याण – (क) शिक्षा – निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस की अदायगी – 2361.24 लाख रुपये की बचत (3500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम आवेदन प्राप्त होने एवं कुछ बैंक खातों के आधार से न जुड़े होने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस की अदायगी (एससीएसपी) – 981.16 लाख रुपये की बचत (1300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम आवेदन प्राप्त होने एवं कुछ बैंक खातों के आधार से न जुड़े होने के कारण हुई।

(ii) जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना (एससीएसपी) – 3848.20 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कोविड-19 की वजह से कोचिंग संस्थानों को कोई भी शारीरिक प्रशिक्षण कक्षाओं के आयोजन की आज्ञा न मिलने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2041"** – वाहनों पर कर – (क) वसूली प्रभार – (i) वसूली प्रभार – 2937.62 लाख रुपये की बचत (7856.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम विदेशी यात्राओं एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ii) ड्राइविंग लाइसेंस प्रभार – 1214.68 लाख रुपये की बचत (2800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति एवं प्रत्याशित दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – (i) पार्किंग फीस के बदले स्थानीय निकायों को मुआवज़ा – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम – 1948.98 लाख रुपये की बचत (4998.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुदान के जारी न होने, कम पार्किंग फीस के जमा होने, तदनुसार कम अनुदान जारी करने के कारण हुई।

(ii) पार्किंग फीस के बदले स्थानीय निकायों को मुआवज़ा – पूर्वी दिल्ली नगर निगम – 820.71 लाख रुपये की बचत (2105.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुदान के जारी न होने, कम पार्किंग फीस के जमा होने, तदनुसार कम अनुदान जारी करने के कारण हुई।

(iii) पार्किंग फीस के बदले स्थानीय निकायों को मुआवज़ा – उत्तरी दिल्ली नगर निगम – 1518.32 लाख रुपये की बचत (3895.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुदान के जारी न होने, कम पार्किंग फीस के जमा होने, तदनुसार कम अनुदान जारी करने के कारण हुई।

(iv) छूट (ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रेकिंग शुल्क एवं सिम कार्ड की लागत) – 1088.07 लाख रुपये की बचत (1223.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति एवं प्रत्याशित दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "3055"**— सड़क परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता – (i) रियायती पासों के लिए डी.टी.सी को सब्सिडी-2917.52 लाख रुपये की बचत (10800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या होने, कम यात्रियों एवं 50 प्रतिशत क्षमता पर बसों को चलाने की अनुमति के कारण हुई।

(ii) महिला यात्रियों के लिए डीटीसी को छूट – 19713.84 लाख रुपये की बचत (31200.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम यात्रियों एवं 50 प्रतिशत क्षमता पर बसों को चलाने की अनुमति के कारण हुई।

(iii) महिला यात्रियों के लिए कलस्टर बसों में छूट – 1781.85 लाख रुपये की बचत (12000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम यात्रियों एवं 50 प्रतिशत क्षमता पर बसों को चलाने की अनुमति के कारण हुई।

(iv) डी.टी.सी. बसों में मार्शलों की तैनाती – 6000.00 लाख रुपये की बचत (20000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता के अनुसार हुई।

(v) कलस्टर बसों में मार्शलों की तैनाती – 11500.00 लाख रुपये की बचत (20000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता के अनुसार हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "3452"**— पर्यटन –सामान्य – प्रचार एवं प्रसार – दिल्ली की पहचान के लिए डी.टी.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान – 9750.00 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 5676.66 लाख रुपये की बचत 16 उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गई थी :-

- 1 **मुख्यशीर्ष "2235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – विकलांगों का कल्याण – (i) मानसिक रूप से विक्षिप्त बालकों के लिए स्कूल/घर – 504.74 लाख रुपये का अधिक व्यय (1635.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः एल. टी.सी. के कैश पैकेज में प्रत्याशित व्यय, त्योहारों के लिए अग्रिम राशि, रिक्त पदों के भरने, 35 अनुबंधित नर्स कर्मचारियों को भुगतान एवं कॉविड-19 केन्द्रों के निर्माण के कारण हुआ।

(ii) विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता – 993.08 लाख रुपये का अधिक व्यय (26501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – सुरक्षा – आंतरिक व बाह्य स्वच्छता (डी.डब्ल्यू.सी.डी.) – 556.31 लाख रुपये का अधिक व्यय (2001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दरों में संशोधन होने के कारण हुआ।

(ख) महिला कल्याण – विधवाओं को पेंशन – 10624.25 लाख रुपये का अधिक व्यय (67501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अ.जा./अ.ज.जा एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण – अनुसूचित जातियों का कल्याण – शिक्षा – अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्टेशनरी की खरीद एवं योग्यता छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय सहायता – 704.75 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वर्ष 2018–19 व 2019–20 के लिए छात्रवृत्ति की प्रतिबद्ध देयताओं के कारण हुआ।

4. **मुख्यशीर्ष "2245"** – प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत-सूखा – ऐच्छिक राहत – (i) पैरा ट्रांजिट लोक सेवा वाहन अर्थात् ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, मैक्सी कैब, ईको फैंडली सेवा, ई-रिक्शा एवं स्कूल कैब इत्यादि (किसी भी बस, मिनी बस आरटीवी आदि को छोड़कर) सार्वजनिक सेवा बिल्ला धारी व्यक्तियों (ड्राइवरों) को एकमुश्त वित्तीय सहायता – 6934.30 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 के दौरान एकमुश्त वित्तीय सहायता जारी करने के कारण एवं वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हुई।

(ii) पैरा ट्रांजिट लोक सेवा वाहन अर्थात् ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, मैक्सी कैब, ईको फैंडली सेवा, ई-रिक्शा एवं स्कूल कैब के परमिट धारकों को एकमुश्त वित्तीय सहायता – 907.45 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 के दौरान एकमुश्त वित्तीय सहायता जारी करने के कारण एवं वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "3055"** – सड़क परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता – घाटा पूर्ति के लिये डी.टी.सी. को सहायता अनुदान – 42499.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (205001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्यकारी क्षतिपूर्ति के लिये डी.टी.सी. को अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 1010.65 लाख रुपये का अधिक व्यय तीन उपशीर्षों के अंतर्गत हुआ जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 74359.11 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि (165087.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) कुल स्वीकृत प्रावधान का 45.04 प्रतिशत थी।

34137.00 लाख रुपये की राशि 17 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "4235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय — समाज कल्याण —(क) विकलांगों का कल्याण —विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (एस.आई.पी.डी. ए.) (सी.एस.एस) — 550.00 लाख रुपये — भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने की वजह से भारत सरकार से शेष राशि प्राप्त न हो सकने के कारण ।

(ख) वृद्ध, अशक्त व निस्सहायों का कल्याण — वृद्धावस्था गृह — 500.00 लाख रुपये —भूमि के आबंटन के लिए भू — स्वामित्व वाली संस्थाओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ।

(ग) अन्य व्यय — वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (एस.डब्लू.डी.) — 500.00 लाख रुपये — कॉविड-19 महामारी को देखते हुए वित्त विभाग के व्यय के लिए युक्तियुक्तकरण के आदेश की वजह से प्रस्ताव का क्रियान्वयन न होने के कारण ।

2. **मुख्यशीर्ष "4235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय — समाज कल्याण —बाल कल्याण — प्रत्येक आंगनवाड़ी में सी.सी.टी.वी. — 1000.00 लाख रुपये — सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना की प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय न होने एवं तुंगलकाबाद में डी.डी.ए. से प्राप्त की जाने वाली अतिरिक्त भूमि की कीमत के भुगतान के लिए प्रावधान रखा गया परन्तु डी.डी.ए. द्वारा अतिरिक्त भूमि का आबंटन न करने के कारण ।

3. **मुख्यशीर्ष "5055"**— सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय — (क) भूमि एवं भवन — बस कतार आश्रयों का निर्माण — 3000.00 लाख रुपये —कार्य के शुरू न होने एवं वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार के कारण ।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों में निवेश —बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को अंश पूंजी — 25000.00 लाख रुपये — डी.टी.सी. को अंश पूंजी जारी न करने के कारण ।

4. **मुख्यशीर्ष "5452"**— पर्यटन पर पूंजी परिव्यय — पर्यटक ढांचा —पर्यटक आवास — दिल्ली सदन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद — 3000.00 लाख रुपये —लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य शुरू न हो सकने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

अ.जा./अ.ज.जा. एवं
पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "4225"

अ.जा./अ.ज.जा. एवं
पिछड़े वर्गों के कल्याण
पर पूंजी परिव्यय

मू.	6500.00)			
पु.	-6450.00)	50.00	49.69	-0.31

परिवहन विभाग

मुख्यशीर्ष "5055"

सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय

मू.	112133.00)			
पु.	-44598.00)	67535.00	65633.20	-1901.80

मुख्यशीर्ष "7055"

सड़क परिवहन के लिए ऋण

मू. 40001.00)

पु. -15000.00)

25001.00

25000.00

-1.00

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4225"** - अ.जा./अ.ज.जा. एवं पिछड़े वर्गों के कल्याणपर पूंजी परिव्यय - अनुसूचित जाति का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - अनुसूचित जातियों की बस्तियों का सुधार (एस.सी.एस.पी) - 6450.31 लाख रुपये की बचत (6500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "5055"** - सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय -(क) भूमि व भवन -(i) परिवहन विभाग - 4424.79 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं कम संख्या में व्यय स्वीकृतियों के जारी होने के कारण हुई।

(ii) बस डिपो व टर्मिनलों की नई तकनीक के साथ स्थापना - 12501.12 लाख रुपये की बचत (20000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों में निवेश - डी.टी.सी. और क्लस्टर बसों में सी.सी.टी.वी कैमरों की स्थापना (राज्य अंश) -1440.89 लाख रुपये की बचत (9000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "7055"** - सड़क परिवहन के लिए ऋण -सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण -(i) केन्द्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए एम.आर.टी.एस. को ऋण - 7500.00 लाख रुपये की बचत (20000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एम.आर.टी.एस. को कम ऋण जारी करने के कारण हुई।

(ii) डी.एम.आर.सी. को राज्य करों की ओर ब्याज मुक्त अधिनस्थ ऋण -7500.00 लाख रुपये की बचत (20000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः डी.एम.आर.सी. को कम ऋण जारी करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 9 – उद्योग

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित—	<u>5.50</u>	..	<u>—5.50</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<u>—2.50</u>
स्वीकृत—			
मूल 522,89,50)			
पूरक 270,00,50)	792,90,00	639,15,54	—153,74,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—7,00
पूँजीगत			
स्वीकृत —	3,22,00	30,00	—2,92,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—2,02,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 5.50 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि (5.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 100.00 प्रतिशत थी ।

5.50 लाख रुपये की राशि तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 15374.46 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि (79290.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 27000.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 19.39 प्रतिशत थी ।

13672.50 लाख रुपये की राशि 26 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "2851"** – ग्रामीण एवं लघु उद्योग – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – व्यापार करने की सुगमता – 500.00 लाख रुपये – कम खरीद होने, कम गतिविधियां एवं महामारी की वजह से योजना पर अंतिम निर्णय न होने के कारण ।

(ख) प्रशिक्षण – सामान्य गढ़ें पानी के उपचार संयंत्रों के सुधार/उन्नयन के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान – 600.00 लाख रुपये – प्रशासनिक कारणों की वजह से निधियों का उपयोग न किए जा सकने के कारण ।

(ग) अनुसंधान और विकास—(i) स्टार्टअप को बढ़ावा — 2000.00 लाख रुपये — कम कर्मचारियों की नियुक्ति, कॉविड-19 के दौरान मितव्ययी उपायों की वजह से कम खरीद करने, कम गतिविधियां एवं स्टार्टअप योजना के प्रचार की रूप रेखा विचारार्थ होने व अभी तक अधिसूचित न किए जाने के कारण।

(ii) स्टार्टअप महोत्सव— 2000.00 लाख रुपये — कॉविड-19 के दौरान मितव्ययी उपायों की वजह से कम खरीद होने, कॉविड-19 महामारी की वजह से कम महोत्सवों का आयोजन होने एवं स्टार्टअप महोत्सव की रूप रेखा विचारार्थ होने एवं अभी तक अधिसूचित न किए जाने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "3456"** — नागरिक आपूर्ति — (क) निर्देशन एवं प्रशासन — राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अभियान — 2000.00 लाख रुपये — घर-घर राशन योजना लागू नहीं होने के कारण इस मद में प्रचार के लिए रखे गए बजट का उपयोग न किए जा सकने के कारण।

(ख) नागरिक आपूर्ति योजना — मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना —5647.00 लाख रुपये —योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ग) उपभोक्ता छूट — आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की जाच के लिए बाजारों पर हस्तक्षेप का प्रावधान— 500.00 लाख रुपये — कम बिलों की प्राप्ति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कीमतों के स्थिर रहने की वजह से बाजार में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
मुख्यशीर्ष "3456"
 नागरिक आपूर्ति

मू.	40003.00)			
पू.	26998.50)			
पु.	4834.80)	71836.30	58089.24	-13747.06

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई:-

1. **मुख्यशीर्ष "3456"** — नागरिक आपूर्तियां — नागरिक आपूर्ति योजना —गरीबी रेखा पर ध्यान देने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाना —797.97 लाख रुपये की बचत (48000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 18000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः परिवहन शुल्क के लिए डी.एस.सी.एस.सी. के दावों का आवश्यक जानकारी/स्पष्टता के अभाव के कारण निपटारा नहीं कर सकने एवं पहली बार विभिन्न नई योजनाओं को लागू करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1037.60 लाख रुपये की बचत तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गई थी :-

1. **मुख्यशीर्ष "3456"** — नागरिक आपूर्तियां —निर्देशन एवं प्रशासन — 1123.38 लाख रुपये का अधिक व्यय (5431.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति, डी.टी.आई.डी.सी. को संशोधित किरायों का भुगतान करने व परामर्शदाताओं की नियुक्ति के कारण हुआ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 292.00 लाख रुपये की कुल बचत थी (322.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि कुल स्वीकृत प्रावधान का 90.68 प्रतिशत थी ।

202.00 लाख रुपये की राशि चार उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान संख्या 10 – विकास

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रुपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित—	<u>24,95</u>	..	<u>-24,95</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<u>-55</u>
स्वीकृत —			
मूल 3062,08,21)			
पूरक 280,52,19)	3342,60,40	2556,41,38	-786,19,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-56,50
पूँजीगत			
प्रभारित—	<u>1,00,00</u>	..	<u>-1,00,00</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<u>-90,00</u>
स्वीकृत	1015,93,00	187,89,87	-828,03,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-774,00,50
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 24.95 लाख रुपये की कुल बचत (24.95 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 100.00 प्रतिशत थी ।

24.95 लाख रुपये की राशि आठ उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 78619.02 लाख रुपये की कुल बचत (334260.40 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 28052.19 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 23.52 प्रतिशत थी ।

29085.62 लाख रुपये की राशि 59 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "2401"—** कृषि पालन — (क) खाद्यान्न फसलें — किसान मित्र योजना — 2500.00 लाख रुपये — रिक्त पदों के रहने/कार्यमुक्त/अधिकारियों की मृत्यु, अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्तियों के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय न होने, कम दावों, ए.एम.सी. पर अंतिम निर्णय न होने एवं आई.टी. उपकरणों की खरीद के लिए किसी नए प्रस्ताव के न होने के कारण ।

(ख) कृषि फार्म – परंपरागत कृषि विकास योजना (सी.एस.एस) – 1000.00 लाख रुपये – कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुसार, कॉविड-19 की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 के समाप्त होने की वजह से भुगतान के जारी न होने एवं आर.सी./एन.जी.ओ. द्वारा जमा किए गए बिलों में कुछ त्रुटियां होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवाएं – सचिवालय – दिल्ली वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान – 3730.00 लाख रुपये – वर्ष 2020-21 के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान जारी न करने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – जिला स्थापना – (i) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा – 10000.00 लाख रुपये – कॉविड-19 की वजह से योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ii) दिल्ली दर्शन योजना – 1000.00 लाख रुपये – कॉविड-19 की वजह से योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

4. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अ.ज./अ.ज.जा एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण – (अ) अनुसूचित जातियों का कल्याण – शिक्षा – अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना (सी.एस.एस.) – 650.00 लाख रुपये – अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आवेदकों के बैंक खाते में सीधे भुगतान करने के कारण।

(ब) पिछड़े वर्गों का कल्याण – आर्थिक विकास – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (सी.एस.एस.) – 2850.00 लाख रुपये – मात्र एक जिले में व्यय होने के कारण।

5. **मुख्यशीर्ष "2245"** – प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत – सामान्य – (क) आपदा उन्मुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक योजना पर प्रबंधन – आपदा आकस्मिकता योजना/आपदा प्रतिक्रिया कोष – 500.00 लाख रुपये – डी.डी.आर.एफ. में निधियों के स्थानांतरण के लिए शुरुआती प्रावधान रखने के कारण।

(ख) अन्य व्यय – आपदा प्रतिक्रिया कोष द्वारा वित्तपोषित संक्रमण/सर्वव्यापी महामारी कोष – 625.00 लाख रुपये – डी.डी.आर.एफ. के लिए व्यय शीर्ष के रूप में राशि रखने के कारण।

6. **मुख्यशीर्ष "3435"** – पारिस्थितिकी और पर्यावरण – प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण – वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम – होटस्पोट द्वारा वायु प्रदूषण का अनुवीक्षण – 4000.00 लाख रुपये – कॉविड-19 की वजह से कोई क्रियाकलाप न होने एवं अनुदान के जारी न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "2403"

पशुपालन

मू.	4728.01)			
पु.	-1046.01)	3682.00	2601.71	-1080.29

सिंचाई एवं बाढ़**नियंत्रण विभाग****मुख्यशीर्ष "2702"****लघु सिंचाई**

मू.	3488.00)			
पु.	-1118.00)	2370.00	1857.29	-512.71

मुख्यशीर्ष "2711"**बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी**

मू.	21691.00)			
पू.	1.00)			
पु.	1157.00)	22849.00	21053.73	-1795.27

मण्डल आयुक्त कार्यालय**मुख्यशीर्ष "2053"****जिला प्रशासन**

मू.	21215.24)			
पू.	1.00)			
पु.	-16256.24)	4960.00	3025.28	-1934.72

मुख्यशीर्ष "2070"**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**

मू.	1901.00)			
पु.	-341.00)	1560.00	1186.61	-373.39

मुख्यशीर्ष "2235"**सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण**

मू.	8528.50)			
पू.	2.00)			
पु.	3457.00)	11987.50	5400.03	-6587.47

मुख्यशीर्ष "2245"**प्राकृतिक आपदाओं****के लिए राहत**

मू.	7959.00)			
पू.	27998.69)			
पु.	58078.31)	94036.00	57150.26	-36885.74

मुख्यशीर्ष "3604"**स्थानीय निकायो तथा पंचायती****राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति****तथा कार्यभार**

मू.	169500.00)			
पु.	-49500.00)	120000.00	115435.64	-4564.36

उपायुक्त कार्यालय

मध्य क्षेत्र

मुख्यशीर्ष "2015"

चुनाव

मू.	565.50)			
पू.	3.00)			
पु.	974.50)	1543.00	1374.69	—168.31

नई दिल्ली क्षेत्र

मुख्यशीर्ष "2015"

चुनाव

मू.	575.00)			
पू.	3.00)			
पु.	1557.00)	2135.00	1319.86	—815.14

दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र

मुख्यशीर्ष "2015"

चुनाव

मू.	644.00)			
पू.	2.15)			
पु.	1062.85)	1709.00	1351.11	—357.89

मुख्यशीर्ष "2053"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	1551.00)			
पु.	—340.00)	1211.00	868.85	—342.15

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	17.00)			
पू.	1.00)			
पु.	1099.00)	1117.00	911.57	—205.43

पूर्वी क्षेत्र

मुख्यशीर्ष "2015"

चुनाव

मू.	853.00)			
पू.	3.00)			
पु.	1412.50)	2268.50	1589.11	—679.39

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	1874.00)			
पु.	—800.50)	1073.50	894.15	—179.35

उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र

मुख्यशीर्ष "2015"

चुनाव

मू.	830.00)			
पू.	2.00)			
पु.	1698.00)	2530.00	1740.31	—789.69

उत्तरी क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	1028.00)			
पू.	2.00)			
पु.	1265.95)	2295.95	1686.05	—609.90

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	1152.00)			
पू.	1.00)			
पु.	1006.05)	2159.05	1673.34	—485.71

शाहदरा क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	641.00)			
पू.	2.00)			
पु.	889.00)	1532.00	1102.09	—429.91

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	1396.00)			
पु.	—440.00)	956.00	689.35	—266.65

दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	659.00)			
पू.	2.00)			
पु.	1241.00)	1902.00	1469.10	—432.90

पर्यावरण विभाग**मुख्यशीर्ष "3435"**

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

मू.	11505.00)			
पू.	2.00)			
पु.	—6984.50)	4522.50	4018.10	—504.40

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2403"** — पशुपालन — पशु चिकित्सालय सेवायें व पशु स्वास्थ्य — अस्पतालों / औषधालयों में पशु चिकित्सा व संक्रामक रोगों की रोकथाम — 1197.57 लाख रुपये की बचत (1300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः खरीद के लिए प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय न होने, औषधियों की खरीद के लिए अनुमोदन प्राप्त न हो सकने एवं वर्ष 2020—21 के दौरान वित्त पाबंदियों को देखते हुए निविदाओं के प्रकाशन न हो सकने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2702"** – लघु सिंचाई – सामान्य – अन्य व्यय – लघु कार्यों का रखरखाव व मरम्मत – 1510.69 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के रहने, कर्मचारियों का स्थानांतरण, बाहरी कर्मचारियों की नियुक्ति, कॉविड-19 की वजह से कम क्रियाकलापों के होने एवं लघु कार्यों के निष्पादित न हो सकने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2711"** – बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी – बाढ़ नियंत्रण – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – 1031.92 लाख रुपये की बचत (3341.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के रहने, कर्मचारियों का स्थानांतरण, कम दावों की प्राप्ति एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लगने के कारण चिकित्सा दावों को प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

(ख) मशीनरी व उपकरण – रखरखाव – 681.31 लाख रुपये की बचत (2200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के रहने, कर्मचारियों का स्थानांतरण, बाहरी कर्मचारियों की नियुक्ति, लघु कार्यों का निष्पादन कॉविड-19 महामारी एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन के युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत उसके लिए पाबंदी लगाने की वजह से न कर सकने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – जिला स्थापना – (i) राजस्व सचिव – 1505.01 लाख रुपये की बचत (4382.24 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 की वजह से वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार व्यय न कर सकने के कारण हुई।

(ii) विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए सेवाएं – 5462.04 लाख रुपये की बचत (5500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 की वजह से कम धार्मिक क्रियाकलापों के होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – अन्य व्यय – सिविल डिफेंस – निर्देशन और प्रशासन – 644.65 लाख रुपये की बचत (1826.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के रहने, कर्मचारियों का स्थानांतरण होने, कम बिलों की प्राप्ति, कॉविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक मितव्ययता के आदेश, स्वयं सेवकों के द्वारा अपेक्षित संख्या में कॉल आउट ड्यूटी के लिए आवेदन न करने एवं कॉविड-19 की वजह से वर्ष 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन न करने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – (अ) पुनर्वास – अन्य राहत उपाय – राजस्व सचिव – 1984 के दंगों के शिकार लोगों के संबंध में भुगतान – 557.92 लाख रुपये की बचत (600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वार्षिक शपथ पत्र के जमा न कराने के कारण लाभार्थियों की संख्या में अंतर मिलने, नामों के विलोपन होने एवं अधिक भुगतान की वसूली के कारण हुई।

(ब) अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम – अन्य कार्यक्रम – रक्षा/दिल्ली पुलिस/अर्धसैनिक/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षाकर्मी के लड़ाई व कार्यवाही के दौरान मरने पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी – 1901.00 लाख रुपये की बचत (3501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 के फैलने की वजह से लॉकडाउन लगने के कारण अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया क्रियावित न हो सकने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2245"**— प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत — आपदा राहत कोष — राहत कोष एवं जमा खातों में स्थानान्तरण — राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष — दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया कोष (केन्द्र अंश) — 15650.00 लाख रुपये की बचत (16150.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एन.डी. आर.एफ. में निधियों के स्थानान्तरण के लिए प्रावधान रखने के कारण हुई।
8. **मुख्यशीर्ष "3604"**— स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा कार्यभार—स्टैम्प ड्यूटी — (i) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश — नई दिल्ली नगर परिषद को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान — 2721.80 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक कर राजस्व के अनुसार अनुदान जारी करने एवं बजट की कमी की वजह से कुछ बिलों का भुगतान लंबित रहने के कारण हुई।
- (ii) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश — उत्तरी दिल्ली नगर परिषद को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान — 22694.42 लाख रुपये की बचत (65000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक कर राजस्व के अनुसार अनुदान जारी करने एवं बजट की कमी की वजह से कुछ बिलों का भुगतान लंबित रहने के कारण हुई।
- (iii) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश — दक्षिणी दिल्ली नगर परिषद को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान — 23634.85 लाख रुपये की बचत (80000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक कर राजस्व के अनुसार अनुदान जारी करने एवं बजट की कमी की वजह से कुछ बिलों का भुगतान लंबित रहने के कारण हुई।
- (iv) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश — पूर्वी दिल्ली नगर परिषद को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान — 5013.29 लाख रुपये की बचत (17500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक कर राजस्व के अनुसार अनुदान जारी करने के कारण हुई।
9. **मुख्यशीर्ष "2053"**— जिला प्रशासन — जिला स्थापना — (i) दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र — 594.48 लाख रुपये की बचत (1323.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के रहने, कम बाहरी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं कॉविड-19 की वजह से आकस्मिक/चिकित्सा बिलों की स्वीकृतियों के आदेशों के न मिलने के कारण हुई।
- (ii) पूर्वी क्षेत्र — 974.78 लाख रुपये की बचत (1854.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बाहरी कर्मचारियों की नियुक्ति होने, कॉविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक मितव्ययता के आदेश, कम बिलों की प्राप्ति एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न नियमित रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।
- (iii) शाहदरा क्षेत्र — 706.65 लाख रुपये की बचत (1396.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम बाहरी कर्मचारियों की नियुक्ति, कॉविड-19 की वजह से महंगाई भत्ते के जारी न करने एवं एल.टी.सी. आदि पर पाबंदी होने के कारण हुई।
10. **मुख्यशीर्ष "3435"**— पारिस्थितिकी और पर्यावरण — प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण — अन्य व्यय —(i) सार्वजनिक पर्यावरण जागरूकता व अन्य क्रियाकलाप — 1237.81 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 की वजह से कम क्रियाकलाप होने एवं सरकार द्वारा घोषित गंभीर प्रदूषण संकट आदि से संबंधित कोई अप्रत्याशित व्यय करने के लिए रखी गई राशि के कारण हुई।
- (ii) प्रदूषण रोकथाम एवं कठिनाई प्रबंध — 2999.87 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक मितव्ययता के आदेशों को अपनाने के कारण हुई।

(iii) पर्यावरण विभाग में तकनीकी तंत्र – 642.77 लाख रुपये की बचत (695.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के धीमी गति के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 2501.72 लाख रुपये की बचत 7 उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से, अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थीं :-

1. **मुख्यशीर्ष "2711"**— बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी – जल निकासी – मशीनरी व उपकरण – रखरखाव – 1186.27 लाख रुपये का अधिक व्यय (16001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक बाहरी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं मरम्मत, रखरखाव व मशीनों के लिए पेट्रोलियम, तेल व चिकनाई युक्त पदार्थों पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।
2. **मुख्यशीर्ष "2245"**— प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत – बाढ़, चक्रवात आदि – निःशुल्क राहत – राजस्व सचिव – राजस्व सचिव – अन्य मदें – 37879.85 लाख रुपये का अधिक व्यय (17622.69 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 11222.69 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कोविड-19 महामारी की वजह से अधिक राहत गतिविधियां होने के कारण हुआ।
3. **मुख्यशीर्ष "2015"**— चुनाव – राज्य/संघ विधानमण्डलों के चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार – (i) केन्द्रीय जिला – चुनाव पर व्यय – 720.09 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लंबित प्रतिबद्ध देनदारियों के कारण हुआ।
(ii) नई दिल्ली जिला – चुनाव पर व्यय – 675.71 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः किराये पर लिए गए वाहनों का भुगतान करने, सभी अवसरों की विडियोग्राफी कराने एवं जलपान के वितरण के कारण हुआ।
(iii) दक्षिणी-पश्चिमी जिला – चुनाव पर व्यय – 628.02 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः किराये पर लिए गए वाहनों का भुगतान करने, सभी अवसरों की विडियोग्राफी कराने एवं जलपान के वितरण के कारण हुआ।
(iv) पूर्वी जिला – चुनाव पर व्यय – 784.27 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधान सभा चुनाव में प्रतिबद्ध देनदारियों जैसे कि जलपान, वाहनों के किराये पर लेने, विडियोग्राफी इत्यादि का भुगतान करने के कारण हुआ।
(v) उत्तरी – पश्चिमी जिला – चुनाव पर व्यय – 899.05 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधान सभा चुनाव के बकाया बिलों के कारण हुआ।
(vi) उत्तरी जिला – चुनाव पर व्यय – 805.64 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनाव से संबंधित लंबित प्रतिबद्ध देनदारियों के कारण हुआ।
(vii) शाहदरा जिला – चुनाव पर व्यय – 565.05 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनाव से संबंधित लंबित प्रतिबद्ध देनदारियों के कारण हुआ।

(viii) दक्षिणी – पूर्वी जिला – चुनाव पर व्यय – 807.39 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधानसभा चुनाव से संबंधित लंबित प्रतिबद्ध देन दारियों के कारण हुआ।

4. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – पुनर्वास – अन्य राहत उपाय – दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र – 893.57 लाख रुपये का अधिक व्यय (18.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः महंगाई भत्ते/वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए प्रावधान रखने, एचआरए में वृद्धि होने एवं रिक्त पदों के भरने के कारण हुआ।
5. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – जिला स्थापना – उत्तरी क्षेत्र – 553.89 लाख रुपये का अधिक व्यय (1069.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने एवं मजदूरी की दरों में संशोधन होने के कारण हुआ।
6. **मुख्यशीर्ष "3435"** – पारिस्थितिकी और पर्यावरण – प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण – वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम – स्मॉग टावर्स के लिए डीपीसीसी को सहायता अनुदान – 1899.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए राशि रखने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 947.17 लाख रुपये का अधिक व्यय तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत हुआ जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 100.00 लाख रुपये की कुल बचत हुई (100.00 लाख रुपये के स्वीकृत विनियोजन की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 100.00 प्रतिशत थी।

100.00 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्ष के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 82803.13 लाख रुपये की कुल बचत थी (101593.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 81.50 प्रतिशत थी।

1173.00 लाख रुपये की राशि चार उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "4250"** – अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय – प्राकृतिक आपदायें – आपदा आकस्मिकता योजना/आपदा प्रतिक्रिया कोष – 500.00 लाख रुपये – कॉविड-19 की वजह से स्वीकृति आदेश के जारी न हो सकने एवं वित्त विभाग के निर्देशानुसार मरम्मत कार्य को रोके रखने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "4403"

पशु पालन पर पूंजी परिव्यय

मू.	3000.00)			
पु.	-2500.00)	500.00	69.34	-430.66

मुख्यशीर्ष "4515"

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
पर पूँजी परिव्यय

मू.	39870.00)			
पु.	—35000.00)	4870.00	4741.10	—128.90

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रणविभाग**मुख्यशीर्ष "4702"**

लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय

मू.	5000.00)			
पु.	—4800.00)	200.00	129.10	—70.90

मुख्यशीर्ष "4711"

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं
पर पूँजी परिव्यय

मू.	43850.00)			
पु.	—30204.00)	13646.00	10298.10	—3347.90

मण्डल आयुक्त कार्यालय**मुख्यशीर्ष "4059"**

सार्वजनिक कार्य पर
पूँजी परिव्यय

मू.	3000.00)			
पु.	—2500.00)	500.00	61.02	—438.98

वन विभाग**मुख्यशीर्ष "4406"**

वानिकी और वन्य जीवन
पर पूँजी परिव्यय

मू.	5700.00)			
पु.	—2200.00)	3500.00	3491.21	—8.79

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4403"**— पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय — पशु चिकित्सालय सेवायें और पशु स्वास्थ्य — अस्पतालों और औषधालयों में पशु चिकित्सा व संक्रामक रोगों की रोकथाम — 2930.66 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वी.एच./वी.डी. के लिए आवश्यक उपकरणों व यंत्रों की खरीद के प्रस्ताव पर अंतिम रूप से स्वीकृति न होने, कुछ पूँजी कार्यों के लिए स्वीकृतियों के समय से प्राप्त न होने एवं कॉविड-19 की वजह से लागू किए गए व्यय प्रबंधन व वित्त पाबंदियों के मद्देनजर उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त न हो सकने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "4515"**— अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय — (क) ग्रामीण विकास — ग्रामीण गांवों के समेकित विकास के अर्न्तगत ग्रामीण विकास बोर्ड (आईडीआरयूवी) — 28805.34 लाख रुपये की बचत (32693.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति के पुनर्वैधीकरण के लिए समय से अनुमोदन प्राप्त न होने एवं कार्यान्वयन करने वाली संस्थाओं से बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना —ग्रामीण गांवों के समेकित विकास के अर्न्तगत ग्रामीण विकास बोर्ड (एस.सी.एस.पी) — 6323.56 लाख रुपये की बचत (7177.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति के पुनर्वैधीकरण के लिए समय से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "4702"** – लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय – भूजल – जल निकायों का कायाकल्प और पुनर्जीवन – 4870.90 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।
4. **मुख्यशीर्ष "4711"** – बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय – (अ) बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – छठ घाटों का विकास – 751.21 लाख रुपये की बचत (1100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।
- (ब) जल निकासी – अन्य व्यय – (i) अन्य जल निकासी कार्य – 32013.08 लाख रुपये की बचत (41000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने एवं बाद में कॉविड-19 महामारी की वजह से वित्त विभाग द्वारा व्यय के युक्तियुक्तकरण के लागू होने के कारण हुई।
- (ii) मुख्य जल निकासी कार्य – 678.95 लाख रुपये की बचत (750.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।
5. **मुख्यशीर्ष "4059"** – सार्वजनिक कार्यों पर पूँजी परिव्यय – कार्यालय भवन – निर्माण – मण्डल आयुक्त कार्यालय – 2938.98 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं कॉविड-19 की वजह से स्वीकृति आदेश के जारी न हो सकने एवं वित्त विभाग के निर्देशानुसार मरम्मत कार्य को स्थिर रखने के कारण हुई।
6. **मुख्यशीर्ष "4406"** – वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय – पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन – जन उद्यान – चकबंदी सहित वनों का विकास – 2001.39 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 11 – शहरी विकास तथा लोक निर्माण

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)	
(हजार रूपयों में)				
राजस्व				
प्रभारित—				
पूरक	1,06,00)	1,06,00	80	—1,05,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं
स्वीकृत —				
मूल	9700,43,84)			
पूरक	87,93,16)	9788,37,00	9227,70,33	—560,66,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				—67,00
पूंजीगत				
स्वीकृत —				
मूल	9684,34,00)			
पूरक	23,00)	9684,57,00	7431,51,55	—2253,05,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				—1866,96,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 105.20 लाख रुपये की कुल बचत हुई (106.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 99.25 प्रतिशत थी ।

101.00 लाख रुपये की राशि दो उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 56066.67 लाख रुपये की कुल बचत हुई (978837.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 8793.16 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 5.73 प्रतिशत थी ।

10182.00 लाख रुपये की राशि 17 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

- मुख्यशीर्ष "2217"— शहरी विकास — (अ) अन्य शहरी विकास योजनाएं — अन्य व्यय — बाजार विकास कोष — 3000.00 लाख रुपये — भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण ।

(ब) सामान्य – अन्य व्यय – विभिन्न डंपिंग स्थलों पर पड़े कचरों का निपटारा – 5000.00 लाख रुपये – भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2810"**— ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत-सौर – अन्य व्यय – सौर उर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना – 500.00 लाख रुपये – दिल्ली डी.आई.एस.सी.ओ.एम. से दावों के प्राप्त न होने एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

शहरी विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	300.00)			
पू.	1.00)			
पु.	799.00)	1100.00	1100.00	..

मुख्यशीर्ष "2215"

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

मू.	191985.00)			
पू.	6221.16)			
पु.	-9049.16)	189157.00	189157.00	..

मुख्यशीर्ष "2217"

शहरी विकास

मू.	127471.50)			
पू.	5.00)			
पु.	-4395.75)	123080.75	83029.46	-40051.29

मुख्यशीर्ष "3604"

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा कार्य

मू.	229948.22)			
पु.	-23075.31)	206872.91	206872.91	..

लोक निर्माण विभाग

मुख्यशीर्ष "2059"

लोक निर्माण

मू.	52550.00)			
पू.	3.00)			
पु.	20745.00)	73298.00	69000.58	-4297.42

मुख्यशीर्ष "2202"

सामान्य शिक्षा

मू.	4500.00)			
पु.	-3300.00)	1200.00	851.78	-348.22

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	14667.00)			
पू.	2556.00)			
पु.	7751.00)	24974.00	19020.76	—5953.24

मुख्यशीर्ष "2216"

आवास

मू.	11301.00)			
पु.	—1322.00)	9979.00	7859.07	—2119.93

मुख्यशीर्ष "3054"

सडकें एवं पुल

मू.	43200.00)			
पू.	1.00)			
पु.	2866.00)	46067.00	44950.34	—1116.66

ऊर्जा विभाग**मुख्यशीर्ष "2801"**

ऊर्जा

मू.	284648.00)			
पू.	2.00)			
पु.	11687.50)	296337.50	295633.71	—703.79

राज्य चुनाव आयोग**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	2700.00)			
पु.	—2513.00)	187.00	118.88	—68.12

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2215"**— जल आपूर्ति एवं स्वच्छता — (अ) जल आपूर्ति — स्थानीय निकायों, नगरपालिका आदि को सहायता — दिल्ली जल बोर्ड को कच्चे पानी के लिये अनुदान — 1003.00 लाख रुपये की बचत (13000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ब) मल व्ययन तथा स्वच्छता — स्थानीय निकायों, नगरपालिका आदि को सहायता — अनाधिकृत बस्तियों में मल व्ययन सुविधाओं के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान — 15000.00 लाख रुपये की बचत (60000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2217"**— शहरी विकास — (अ) स्लम बस्ती सुधार — स्थानीय निकायों, नगर पालिका आदि को सहायता — अमृत योजना के लिए दि.न.नि./न.दि.न.पा.को सहायता अनुदान (सी.एस.एस) — 14573.07 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सीएसएस से संबंधित निधियों के कम जारी होने के कारण हुई।

(ब) सामान्य — (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता — (i) दिल्ली नगर निगम को मलवाहन व सफाई सेवा के मशीनीकरण व सुदृढीकरण हेतु अनुदान — दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को मलवाहन व सफाई सेवा के मशीनीकरण व सुदृढीकरण हेतु अनुदान — 2311.30 लाख रुपये की बचत (11800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं भारत सरकार द्वारा पूँजीगत संपत्तियों के संबंध में अनुदान जारी न होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली नगर निगम को मलवाहन व सफाई सेवा के मशीनीकरण व सुदृढीकरण हेतु अनुदान – पूर्वी दिल्ली नगर निगम को मलवाहन व सफाई सेवा के मशीनीकरण व सुदृढीकरण हेतु अनुदान – 4692.00 लाख रुपये की बचत (21000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं भारत सरकार द्वारा पूँजीगत संपत्तियों के संबंध में अनुदान जारी न होने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली नगर निगम को मलवाहन व सफाई सेवा के मशीनीकरण व सुदृढीकरण हेतु अनुदान – उत्तरी दिल्ली नगर निगम को मलवाहन व सफाई सेवा के मशीनीकरण व सुदृढीकरण हेतु अनुदान – 5526.60 लाख रुपये की बचत (36240.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं भारत सरकार द्वारा पूँजीगत संपत्तियों के संबंध में अनुदान जारी न होने के कारण हुई।

(iv) स्वच्छ भारत मिशन (सी.एस.एस.) – 9484.43 लाख रुपये की बचत (9500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सीएसएस से संबंधित निधियों के कम जारी होने के कारण हुई।

(v) स्वच्छ भारत मिशन (राज्य अंश) – 2740.84 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – पैसे दो और प्रयोग करो जन-सुविधा परिसरो के निर्माण हेतु डी.यू.एस.आई.बी को सहायता अनुदान (एस.सी.एस.पी.) – 2350.01 लाख रुपये की बचत (9300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः डी.यू.एस.आई.बी. के मांगानुसार अनुदान जारी करने एवं वित्त विभाग द्वारा योजना में पहले से उपलब्ध धनराशि व वर्ष की बची हुई अवधि को ध्यान में रखते हुए कम राशि जारी करने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "3604"** – स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा कार्य – अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा आबंटन – (i) स्थानीय निकायों को मूल करों का निर्धारण – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम – 4520.46 लाख रुपये की बचत (45046.86 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक कर राजस्व के अनुसार अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) स्थानीय निकायों को मूल करों का निर्धारण – पूर्वी दिल्ली नगर निगम – 9646.63 लाख रुपये की बचत (96129.85 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक कर राजस्व के अनुसार अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) स्थानीय निकायों को मूल करों का निर्धारण – उत्तरी दिल्ली नगर निगम – 8530.93 लाख रुपये की बचत (85011.85 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक कर राजस्व के अनुसार अनुदान जारी होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2059"** – लोक निर्माण – सामान्य – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – स्थापना प्रभार – 6959.08 लाख रुपये की बचत (27100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, महंगाई भत्ते को रोक देने, बिलों की प्राप्ति न होने, आर्थिक उपायों की वजह से कम खरीद होने एवं लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थ व्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू करने के कारण हुई।

- (ख) निर्माण – 1273.99 लाख रुपये की बचत (1630.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मरम्मत व अन्य लघु कार्यों पर कम व्यय होने, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थ व्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
5. **मुख्यशीर्ष "2202"**– सामान्य शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा – भवनों का रखरखाव – सरकारी स्कूलों में सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के व्यापक रखरखाव – 3648.22 लाख रुपये की बचत (4500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मरम्मत व अन्य लघु कार्यों पर कम व्यय होने, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थ व्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
6. **मुख्यशीर्ष "2216"**– आवास – (अ) सरकारी निवास भवन – सामान्य पूल आवास – रखरखाव तथा मरम्मत – 2241.24 लाख रुपये की बचत (8200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मरम्मत व अन्य लघु कार्यों पर कम व्यय होने व आरआरटी के पुनर्मूल्यांकन होने, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थ व्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
- (ब) सामान्य पूल आवास – अन्य व्यय – मंत्रिपरिषद के सदनों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता सेवाएँ – 885.26 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता के अनुसार होने के कारण हुई।
7. **मुख्यशीर्ष "3054"**– सड़कें एवं पुल – जिला एवं अन्य सड़कें – मरम्मत एवं रखरखाव – कार्य प्रभार स्थापना – 833.83 लाख रुपये की बचत (11000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थ व्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
8. **मुख्यशीर्ष "2801"**– ऊर्जा – प्रेषण और वितरण – अन्य व्यय – दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को सहायता – 991.00 लाख रुपये की बचत (2601.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने की वजह से दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को कम अनुदान जारी होने एवं पिछले वर्ष के अव्ययित अनुदान में से व्यय करने के कारण हुई।
9. **मुख्यशीर्ष "2015"**– चुनाव – चुनाव आयोग – राज्य चुनाव आयोग – 2581.12 लाख रुपये की बचत (2700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 की वजह से किसी मजदूर के नियुक्त न होने, कम बिलों की प्राप्ति, ईवीएम की खरीद की संख्याओं के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने एवं आई.टी. मदों की खरीद न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 2410.78 लाख रुपये की बचत छः उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — जन स्वास्थ्य — रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण — वेक्टर जनित रोगों के लिए अलगाव घर के लिए डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान — 799.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (301.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः डीयूएसआईबी के मांगानुसार अनुदान जारी करने के कारण हुआ।
2. **मुख्यशीर्ष "2215"**— जल आपूर्ति एवं स्वच्छता — जल आपूर्ति — अन्य व्यय — दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को छूट — 7028.84 लाख रुपये का अधिक व्यय (52971.16 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 6221.16 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की अधिक संख्या के कारण हुआ।
3. **मुख्यशीर्ष "2217"**— शहरी विकास — (अ) स्लमबस्ती सुधार — स्थानीय निकायों नगर पालिका इत्यादि को सहायता — स्मार्ट सिटी के लिए नई दिल्ली नगर पालिका को सहायता अनुदान (सी.एस.एस) — 5799.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (4001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त निधियों की वजह से एन.डी.एम.सी. को अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

(ब) अन्य शहरी विकास योजना — स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता — शाहजनाबाद पुनर्विकास निगम को सहायता अनुदान — 2199.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (3501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।
4. **मुख्यशीर्ष "2059"** — लोक निर्माण — सामान्य — रखरखाव और मरम्मत — 25175.78 लाख रुपये का अधिक व्यय (19001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः विभिन्न सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत व रखरखाव के अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।
5. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ — ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — भवन — लोक नायक अस्पताल — 3393.47 लाख रुपये का अधिक व्यय (1801.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अस्पताल में काम करने का माहौल बनाने के कारण हुआ।
6. **मुख्यशीर्ष "3054"**— सड़कें एवं पुल — जिला एवं अन्य सड़कें — मरम्मत एवं रखरखाव — लोक निर्माण विभाग की सड़कों का व्यापक रखरखाव — 2932.95 लाख रुपये का अधिक व्यय (5001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

7. **मुख्यशीर्ष "2801"**— ऊर्जा — प्रेषण और वितरण — अन्य व्यय — डीस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ताओं को छूट — 11998.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (282001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की अधिक संख्या होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 312.85 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत थी जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 225305.45 लाख रुपये की कुल बचत थी (968457.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 23.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 23.26 प्रतिशत थी।

91028.00 लाख रुपये की राशि 36 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. **मुख्यशीर्ष "4217"**— शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय — अन्य शहरी विकास योजनाएँ — निर्माण — (i) मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास — 40000.00 लाख रुपये — योजना के अंशतः कार्यान्वयन होने एवं सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण।

(ii) मुख्यमंत्री मोहल्ला सुरक्षा योजना — 10000.00 लाख रुपये — योजना के अंशतः कार्यान्वित होने एवं सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "6217"**— शहरी विकास के लिए ऋण — अन्य शहरी विकास योजनाएँ — अन्य ऋण — कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई बी. को ऋण (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) — 1500.00 लाख रुपये — कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण के लिए (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) डीयूएसआईबी को आवश्यकतानुसार ऋण जारी करने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "4059"**— लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय — अन्य भवन — निर्माण — हज हाउस का निर्माण — 3000.00 लाख रुपये — कार्य के आरंभ न होने के कारण।

4. **मुख्यशीर्ष "4235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजी परिव्यय — समाज कल्याण — (क) अपंगों का कल्याण — सेवा कुटीर परिसर किंगजवे कैम्प फेस-2 में कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (लडकों) के लिए छात्रावास का निर्माण — 1000.00 लाख रुपये — कार्य की धीमी गति के कारण।

(ख) वृद्धों, अपंगों एवं निस्सहायों का कल्याण — सेवा सदन परिसर, लामपुर में भवन निर्माण — 900.00 लाख रुपये — कार्य के आरंभ न होने के कारण।

5. **मुख्यशीर्ष "5054"**— सड़कों एवं पुलों पर पूँजी परिव्यय — जिला एवं अन्य सड़कें — पुल — (i) करावल नगर, भजनपुरा और गगन सिनेमा मंगल के बीच फ्लाईओवर/अंडरपास का निर्माण — 20000.00 लाख रुपये — कार्य के आरंभ न होने के कारण।

(ii) मजनू का टीला और मेटकॉफ हॉउस बाहरी रिंग रोड पर फ्लाईओवर — 1000.00 लाख रुपये — कार्य के आरंभ न होने के कारण।

(iii) उत्तर – दक्षिण कॉरिडोर – 1000.00 लाख रुपये – कार्य के आरंभ न होने के कारण।

(iv) इंटीग्रेटेड कॉरिडोर (i) डीएनडी चौराहे से भैरों मार्ग जंक्शन तक रिंग रोड (ii) मोदी मिलपलाईओवर से आईआईटी गेट तक रिंग रोड – 1000.00 लाख रुपये – कार्य के आरंभ न होने के कारण।

6. **मुख्यशीर्ष "4810"** – ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत – सोलर – नवीकरणीय ऊर्जा – 900.00 लाख रुपये – मशीनरी व उपकरणों की खरीद न होने के कारण।

7. **मुख्यशीर्ष "6801"** – विद्युत परियोजना के लिए ऋण – (क) सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण – दिल्ली ट्रांसको लि. को ऋण – 5000.00 लाख रुपये – डी.टी.एल. को ऋण जारी न करने के कारण।

(ख) डीजल / गैस विद्युत उत्पादन – प्रगति पावर योजना –।।। बवाना को ऋण – 4000.00 लाख रुपये – प्रगति पावर योजना –।।। बवाना को ऋण जारी न करने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

शहरी विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "4217"

शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय

मू.	205010.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-75310.00)	129701.00	112360.28	-17340.72

मुख्यशीर्ष "6215"

जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए ऋण

मू.	238440.00)			
पू.	2.00)			
पु.	-14499.00)	223943.00	223943.00	..

मुख्यशीर्ष "6217"

शहरी विकास के लिए ऋण

मू.	6900.00)			
पू.	1.00)			
पु.	43101.00)	50002.00	50000.00	-2.00

मुख्यशीर्ष "7615"

अन्य ऋण

मू.	20000.00)			
पू.	1.00)			
पु.	89999.00)	110000.00	110000.00	..

लोक निर्माण विभाग**मुख्यशीर्ष "4055"**

पुलिस पर पूँजी परिव्यय

मू. 1000.00)

पु. -900.00)

100.00

68.46

-31.54

मुख्यशीर्ष "4059"

लोक निर्माण कार्यो

पर पूँजी परिव्यय

मू. 54700.00)

पू. 4.00)

पु. -32098.00)

22606.00

19020.97

-3585.03

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं

पर पूँजीगत परिव्यय

मू. 9300.00)

पु. -6800.00)

2500.00

2221.24

-278.76

मुख्यशीर्ष "4202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं

संस्कृतिपर पूँजी परिव्यय

मू. 155320.00)

पू. 2.00)

पु. -64964.00)

90358.00

85945.35

-4412.65

मुख्यशीर्ष "4210"

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

पर पूँजी परिव्यय

मू. 86650.00)

पु. -43231.00)

43419.00

42106.09

-1312.91

मुख्यशीर्ष "4216"

भवनों पर पूँजी परिव्यय

मू. 1000.00)

पु. -608.00)

392.00

321.64

-70.36

मुख्यशीर्ष "4235"

सामाजिक सुरक्षा और

कल्याण पर पूँजी परिव्यय

मू. 6520.00)

पु. -4857.00)

1663.00

1390.89

-272.11

मुख्यशीर्ष "4250"

अन्य सामाजिक

सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

मू. 5665.00)

पु. -4235.00)

1430.00

1034.07

-395.93

मुख्यशीर्ष "5054"

सड़कों एवं पुलों पर

पूँजी परिव्यय

मू.	164800.00)			
पू.	9.00)			
पु.	-66676.00)	98133.00	93739.26	-4393.74

ऊर्जा विभाग**मुख्यशीर्ष "4801"**

ऊर्जा परियोजनाओं

पर पूँजी परिव्यय

मू.	2599.00)			
पू.	2.00)			
पु.	4395.00)	6996.00	585.65	-6410.35

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4217"**— शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय — अन्य शहरी विकास योजनाएं — (क) भूमि — यमुना पार क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का निष्पादन — 6732.08 लाख रुपये की बचत (7500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन एवं व्यय के युक्तियुक्तकरण से संबंधित आदेशों के जारी करने एवं मंत्रीपरिषद की स्वीकृति मिलने के बाद से एमएलएएलएडी योजना व टीवाईएवीडी योजना के अंतर्गत पूर्ण किये गये कार्यों के लिए ही धनराशि जारी करने के कारण हुई।

(ख) निर्माण — (i) प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादी ढाँचों का सुदृढीकरण एवं संवर्धन — 14359.90 लाख रुपये की बचत (21000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन एवं व्यय के युक्तियुक्तकरण से संबंधित आदेशों के जारी करने एवं मंत्रीपरिषद की स्वीकृति मिलने के बाद से एमएलएएलएडी योजना व टीवाईएवीडी योजना के अंतर्गत पूर्ण किये गये कार्यों के लिए ही धनराशि जारी करने के कारण हुई।

(ii) मुख्यमंत्री सड़क पुनरुत्थान योजना — 36199.04 लाख रुपये की बचत (40000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन एवं व्यय के युक्तियुक्तकरण से संबंधित आदेशों के जारी करने एवं मंत्रीपरिषद की स्वीकृति मिलने के बाद से एमएलएएलएडी योजना व टीवाईएवीडी योजना के अंतर्गत पूर्ण किये गये कार्यों के लिए ही धनराशि जारी करने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना — प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादी ढाँचों का सुदृढीकरण एवं संवर्धन (एस.सी.एस.पी.) — 4874.65 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से वित्त विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन एवं व्यय के युक्तियुक्तकरण से संबंधित आदेशों के जारी करने एवं मंत्रीपरिषद की स्वीकृति मिलने के बाद से एमएलएएलएडी योजना व टीवाईएवीडी योजना के अंतर्गत पूर्ण किये गये कार्यों के लिए ही धनराशि जारी करने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "6215"**— जलापूर्ति एवं सफाई के लिए ऋण — (अ) जलापूर्ति — स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं इत्यादि को ऋण — (i) दिल्ली जल बोर्ड वजीराबाद जल संयंत्र के लिये ऋण (राज्य अंश) — 5500.00 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड को कम ऋण जारी करने के कारण हुई ।
- (ii) मौजूदा जल कार्यों के सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण — 2000.00 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड को कम ऋण जारी करने के कारण हुई ।
- (iii) पैमाइश और रिसाव प्रबंधन के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण — 1000.00 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड को कम ऋण जारी करने के कारण हुई ।
- (iv) चंद्रावल जल शोधन संयंत्र — जेआईसीए के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (केन्द्रीय अंश) — 14999.00 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड को कम ऋण जारी करने के कारण हुई ।
- (v) चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (राज्य अंश) — 1999.00 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड को कम ऋण जारी करने के कारण हुई ।
- (vi) दिल्ली जल बोर्ड वजीराबाद जल संयंत्र के लिये ऋण (केन्द्रीय अंश) — 6999.00 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड को कम ऋण जारी करने के कारण हुई ।
- (ब) मलव्ययन एवं स्वच्छता — स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को ऋण — एस.टी.पी./एस.पी.एस. के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण — 10000.00 लाख रुपये की बचत (60000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड को कम ऋण जारी करने के कारण हुई ।
3. **मुख्यशीर्ष "4055"**— पुलिस पर पूँजी परिव्यय — दिल्ली पुलिस — दिल्ली अपराध विज्ञान प्रयोगशाला — 931.54 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई ।
4. **मुख्यशीर्ष "4059"**— लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय — (अ) कार्यालय भवन — निर्माण — (i) उपायुक्त कार्यालय — 9726.04 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई ।
- (ii) कार्यालय भवनों का सुधार — 24100.19 लाख रुपये की बचत (25000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कौविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई ।
- (ब) अन्य भवन — निर्माण — न्याय प्रशासन — न्याय पालिका के लिए आधारभूत सुविधाएँ (सी.एस.एस) — 3278.34 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं भारत सरकार से कम निधियों के प्राप्त होने के कारण हुई ।

- 5 **मुख्यशीर्ष "4070"**— अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय — अन्य व्यय — (i) दिल्ली अग्नि शमन सेवाएं — 5121.79 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
- (ii) केन्द्रीय कारागार भवन — 1956.97 लाख रुपये की बचत (3300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
6. **मुख्यशीर्ष "4202"**— शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजी परिव्यय — (अ) सामान्य शिक्षा — (क) माध्यमिक शिक्षा — (i) माध्यमिक स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण — 8203.31 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
- (ii) मौजूदा स्कूल भवनों में अतिरिक्त कक्षाओं के लिए कमरे का निर्माण — 17218.06 लाख रुपये की बचत (65000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
- (ख) विश्वविद्यालय एवं उच्चशिक्षा — सरकारी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों की मूल ढाँचा परियोजनाएं — 11051.29 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
- (ग) सामान्य — सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना — 19673.05 लाख रुपये की बचत (25000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
- (घ) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना — (i) विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण (एससीएसपी) — 1586.97 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

(ii) मौजूदा स्कूल बिल्डिंग में प्रमुख वृद्धि/मरम्मत (एससी.एस.पी) – 1158.67 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ड.) अन्य व्यय – अतिरिक्त सुविधायें/शिक्षा विभाग के वर्तमान भवनों का पुनरुद्धार – 1325.37 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

(ब) तकनीकी शिक्षा – पॉलिटेक्निक – भवन – 7701.72 लाख रुपये की बचत (8000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

(स) खेल, युवा सेवाएं, खेल स्टेडियम – अन्य व्यय – खेल के मैदान, खेल परिसर, तरणताल आदि का विकास एन.सी.सी. के लिए भवन का निर्माण – 655.94 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "4210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय – (अ) शहरी स्वास्थ्य योजनाएं – अस्पताल एवं औषधालय – (i) भवन – अस्पतालों के लिए भवनों का निर्माण – 17341.39 लाख रुपये की बचत (32400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ii) मौजूदा अस्पतालों का पुनर्गठन – 22023.22 लाख रुपये की बचत (40000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(iii) औषधालयों के मौजूदा भवनों का उन्नयन – 1619.63 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

(ब) जन स्वास्थ्य – रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण – लोक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण – 3410.75 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "4216"** – भवनों पर पूँजी परिव्यय – सरकारी आवास भवन – सामान्य पूल आवास – 678.36 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "4235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजी परिव्यय — समाज कल्याण — (क) अपंगों का कल्याण — (i) मन्दबुद्धियों के गृह का विकास — 823.85 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।
- (ii) तिमारपुर में कॉलेज जाने वाले अंधे छात्रों (लड़कियों) के लिए छात्रावास का निर्माण — 667.65 लाख रुपये की बचत (1300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।
- (ख) वृद्धों, अपंगों एवं निस्सहायों का कल्याण — वृद्धावस्था गृह — 654.03 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।
10. **मुख्यशीर्ष "4250"**— अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय — रोजगार — आई.टी.आई. का निर्माण — 4223.73 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
11. **मुख्यशीर्ष "5054"**— सड़कों एवं पुलों पर पूँजी परिव्यय — जिला एवं अन्य सड़कें — (क) पुल — (i) आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण — 1744.89 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
- (ii) पूर्व — पश्चिम कॉरिडोर — 993.23 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।
- (iii) बारापुला नाला, फेस-3 के ऐलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण — 11026.99 लाख रुपये की बचत (17500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।
- (iv) आई.आई.टी से राष्ट्रीय राजमार्ग 8, पार्ट-ए और पार्ट-बी के लिए बाहरी रिंग रोड के कॉरिडोर में सुधार — 3378.99 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थव्यवस्था पर कॉविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
- (v) बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पूरी पंक्ति को ढकने के लिए पुल का चौड़ीकरण — 803.39 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।
- (vi) पुलों और पलाईओवरों की मरम्मत एवं पुनर्वास — 1402.69 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(vii) आश्रम फ्लाईओवर का डीएनडी फ्लाईओवर तक विस्तार – 6714.87 लाख रुपये की बचत (8000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थ व्यवस्था पर कौविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

(ख) सड़क कार्य – (i) वजीराबाद से डी.एन.डी. फ्लाईओवर तक रिंग रोड के साथ नया बाइपास रोड – 937.07 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ii) सड़कों का ढाँचागत सुधार – 18891.01 लाख रुपये की बचत (19300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों/श्रमिकों की समस्या की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं अर्थ व्यवस्था पर कौविड-19 के प्रभाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पाबंदियों के लागू होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय – (i) सड़कों व पुलों का निर्माण – 1610.28 लाख रुपये की बचत (5800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ii) लो.नि.वि.की सड़कों की स्ट्रीट स्केपिंग – 3059.65 लाख रुपये की बचत (8000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(iii) एल.ई.डी. स्क्रीनों का प्रावधान – 994.20 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(iv) सी.सी.टी.वी. कैमरो की स्थापना – 4055.70 लाख रुपये की बचत (25000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

12. **मुख्यशीर्ष "4801"**– बिजली परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय – प्रेषण एवं वितरण – अन्य व्यय – (i) भूमि की खरीद – 916.81 लाख रुपये की बचत (1501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः मेसर्स पी.जी.सी.आई.एल. के भुगतान पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो सकने के कारण हुई।

(ii) एच.टी./एल.टी. बिजली वितरण तारों का स्थानांतरण – 998.54 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं चंदर विहार, मंडावली में 66 केवीएचटी लाईन को स्थानांतरित करने के लिए राईट आफ वे के लिए उत्तर रेलवे की आवश्यक मंजूरी न मिलने के कारण बजट का उपयोग नहीं कर सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 2326.47 लाख रुपये की बचत छः उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें, निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :-

- 1 **मुख्यशीर्ष "4217"**— शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय — अन्य शहरी विकास योजना—भूमि—अनाधिकृत कॉलोनिजों का विकास — 19524.95 लाख रुपये का अधिक व्यय (79501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अधिक गति के कारण हुआ।
- 2 **मुख्यशीर्ष "6215"**— जल आपूर्ति एवं सफाई के लिये ऋण — (अ) जलापूर्ति — स्थानीय निकायों, निगमों इत्यादि को ऋण — वितरण के स्रोतों और जलाशयों के लिए दिल्ली जल बोर्ड के लिए ऋण — 2999.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (9501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड को स्रोतों और जलाशयों के वितरण के लिए अधिक ऋण जारी करने के कारण हुआ।

(ब) मलव्ययन तथा सफाई — स्थानीय निकायों, निगमों इत्यादि को ऋण — जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना के लिए दि.ज.बो. को ऋण — 24999.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (30001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना के लिए दि.ज.बो. को अधिक ऋण जारी करने के कारण हुआ।
- 3 **मुख्यशीर्ष "6217"**— शहरी विकास के लिए ऋण — अन्य शहरी विकास योजनाएं — अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना — स्वस्थानी पुनर्वास योजना के लिए डी.यू.एस.आई.बी को ऋण (एस.सी.एस.पी.) — 44999.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (5001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः स्वस्थानी पुनर्वास योजना के लिए डी.यू.एस.आई.बी को अधिक ऋण जारी करने के कारण हुआ।
- 4 **मुख्यशीर्ष "7615"**— अन्य ऋण — अन्य ऋण — तरीके और साधन समर्थन के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण — 89999.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड को अधिक ऋण के जारी करने के कारण हुआ।
- 5 **मुख्यशीर्ष "4059"**— सार्वजनिक कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय — कार्यालय भवन — निर्माण — (i) न्यायालय भवन — 1961.77 लाख रुपये का अधिक व्यय (4001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

(ii) बापा नगर, जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली में 2.74 एकड़ भूमि पर दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए एक ब्लॉक का निर्माण — 2189.64 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सरकार द्वारा नई कार्य स्वीकृति के कारण हुआ।
6. **मुख्यशीर्ष "5054"**— सड़कों एवं पुलों पर पूँजी परिव्यय — जिला एवं अन्य सड़कें — (क) पुल — फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण — 1366.30 लाख रुपये का अधिक व्यय (3001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति होने के कारण हुआ।

(ख) सड़क कार्य — (i) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (रोहिणीय सड़कों) का सुदृढीकरण/पुनर्निर्माण/सूक्ष्म निर्माण — 2416.74 लाख रुपये का अधिक व्यय (7501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

(ii) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (आर.ओ. डब्ल्यू 30 से कम वाली सड़कों) का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण/सूक्ष्मनिर्माण – 2920.55 लाख रुपये का अधिक व्यय (10001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

(iii) सबवे का निर्माण – 847.34 लाख रुपये का अधिक व्यय (101.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

(ग) अन्य व्यय – वाई – फाई दिल्ली – 997.27 लाख रुपये का अधिक व्यय (3001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 969.72 लाख रुपये की बचत दो उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

अनुदान संख्या 12 – ऋण

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
			(हजार रूपयों में)
पूँजीगत			
स्वीकृत –	1,50,00	66,15	—83,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 83.85 लाख रुपये की कुल बचत थी (150.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 55.90 प्रतिशत थी।

अनुदान संख्या 13 – पेंशन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
			(हजार रूपयों में)
राजस्व			
स्वीकृत –	3,00,00	1,95,01	—1,04,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
<u>टीका एवं टिप्पणियां</u>			

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 104.99 लाख रुपये की कुल बचत थी (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 35.00 प्रतिशत थी ।

अनुदान संख्या 14 – आकस्मिक निधि

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
			(हजार रूपयों में)
पूँजीगत			
स्वीकृत –			
पूरक	..	..	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में वित्त वर्ष 2020–21 में कोई बजट प्रावधान नहीं रखा गया था।

अनुदान संख्या 15—सार्वजनिक ऋण

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित —	<u>3061,88,00</u>	<u>2873,83,08</u>	<u>-188,04,92</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<u>-188,04,00</u>
पूँजीगत			
प्रभारित —	<u>3511,10,00</u>	<u>3265,16,52</u>	<u>-245,93,48</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<u>-245,93,00</u>

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 18804.92 लाख रुपये की कुल बचत थी (306188.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 6.14 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

सार्वजनिक ऋण

मुख्यशीर्ष "2049"

ब्याज का भुगतान

मू.	<u>306188.00</u>			
पु.	<u>-18804.00</u>	<u>287384.00</u>	<u>287383.08</u>	<u>-0.92</u>

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष "2049"—** ब्याज का भुगतान — केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज — राज्य/संघ क्षेत्र की प्लान योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज -18804.92 लाख रुपये की बचत (306188.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः ब्याज की दरों में बदलाव होने एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार रहने के कारण हुई।

अनुदान के पूँजीगत भाग के प्रभारित अंश में 24593.48 लाख रुपये की कुल बचत थी (351110.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना) जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 7.00 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

सार्वजनिक ऋण

मुख्यशीर्ष "6004"

केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम

मू.	351110.00)			
पु.	-24593.00)	326517.00	326516.52	-0.48

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

1. मुख्यशीर्ष "6004"— केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम — गैर — योजना ऋण — लघु बचत योजना का अंश — 24593.48 लाख रुपये की बचत (351110.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता के अनुसार रहने के कारण हुई।

2020-2021 की वसूलियों का विवरण

अनुदान की संख्या तथा नाम		बजट अनुमान		वास्तविक वसूलियां		बचत (-)/अधिक (+)	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(हजार रूपयों में)							
1-विधान सभा	स्वीकृत	0	0	169	0	169	0
2-सामान्य प्रशासन	स्वीकृत	0	0	1243	0	1243	0
3-न्याय प्रशासन	प्रभारित	0	0	3460	0	3460	0
	स्वीकृत	0	0	4838	0	4838	0
4-वित्त	स्वीकृत	0	0	2866	0	2866	0
5-गृह	स्वीकृत	0	0	1847	1029	1847	1029
6-शिक्षा	स्वीकृत	0	0	333977	0	333977	0
7-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	0	0	20866	319	20866	319
8-समाज कल्याण	स्वीकृत	0	0	2962	14807	2962	14807
9-उद्योग	स्वीकृत	0	0	679307	0	679307	0
10-विकास	स्वीकृत	0	0	42050	0	42050	0
11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	स्वीकृत	0	0	3113753	53697	3113753	53697
योग-	प्रभारित	0	0	3460	0	3460	0
	स्वीकृत	0	0	4203878	69852	4203878	69852